



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 42

पटना, बुधवार,

23 आश्विन 1947 (श0)

15 अक्तूबर 2025(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-104
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	105-106
पूरक	---
पूरक-क	107-108

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

8 अक्टूबर 2025

सं० 02/शमन-07(A)/2015, परि०-8352 —परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-7344, दिनांक-25.09.2023 द्वारा नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक एवं नवनियुक्त प्रवर्तन अवर निरीक्षक को मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196 एवं धारा-201 के तहत एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-12976, दिनांक-25.10.2024 द्वारा सभी नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को उपर्युक्त धारा के अतिरिक्त धारा-192A के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त पर सम्यक विचारोपरांत मोटरयान अधिनियम, 1988-सहपठित-मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की सभी धाराओं के तहत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए नियमानुसार उनपर शास्ति अधिरोपित करने हेतु नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO) एवं नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक (MVI) को शमन की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचनाएं

9 सितम्बर 2025

सं० 1/ए०-1-102/2020-649—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०-32/2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-03 दिनांक-13.08.2025 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतन लेवल-09 (वेतनमान-₹53,100- ₹1,67,800/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक/समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि/चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	118259/01	मो० अदनान इकबाल/ पटना	04.03.1994	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनारक्षित	मो० अदनान इकबाल, पिता-मो० कलीम अहमद, एमके हाउस, लोहरवा घाट, आलमगंज, गुलजारबाग, पो०-गुलजारबाग, जिला-पटना, पिन-800007	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
2	118964/ 02	श्री राजीव कुमार / लखीसराय	09.05.1993	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री राजीव कुमार, पिता—श्री भरोषा मंडल, ग्राम+पो०—गोपालपुर, थाना—चानन, जिला—लखीसराय, पिन—811310	
3	104130/ 03	श्री उज्जवल कांत / नालंदा	03.06.1992	पि०व० / अनारक्षित	श्री उज्जवल कांत, पिता—श्री सर्वेश कुमार, हाउस नं०—51, वार्ड नं०—13, ग्राम+पो०—अन्दी, थाना—अस्थावां, जिला—नालंदा, पिन—803107	
4	100353/ 04	श्री प्रभाष अभिषेक / गया जी	16.08.1995	पि०व० / अनारक्षित	श्री प्रभाष अभिषेक, पिता—श्री प्रदीप कुमार वर्मा, 181, जय प्रकाश नगर, लखीबाग, थाना—मुफसिल, पो०—बुनियादगंज, मानपुर, जिला—गया जी, पिन—823003	
5	113265/ 05	श्री सचिन कुमार / नालंदा	05.01.1994	पि०व० / अनारक्षित	श्री सचिन कुमार, पिता—श्री रामवृक्ष प्रसाद, ग्राम—हेगनपुरा, पोस्ट—सोहसराय, थाना—नूरसराय, जिला—नालंदा, पिन—803118	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
6	111789/ 06	श्री प्रहर्ष शुक्ला / कुशीनगर (उ०प्र०)	05.08.1993	अनारक्षित / अनारक्षित	श्री प्रहर्ष शुक्ला, पिता—श्री कृष्ण शरण शुक्ला, ग्राम—कुरमौटा, पो०—कसया, थाना—कसया, जिला—कुशीनगर (उ०प्र०), पिन—274403	
7	115329/ 07	श्री सिंधु सिंह / बेगूसराय	01.09.1993	अनारक्षित / अनारक्षित	श्री सिंधु सिंह, पिता—श्री अजय कुमार सिंह, ग्राम+पो०—हरदिया, थाना—डंडारी, जिला—बेगूसराय, पिन—851204	
8	115974/ 08	श्री आलोक कुमार / नालंदा	16.07.1994	पि०व० / अनारक्षित	श्री आलोक कुमार, पिता—श्री राजेन्द्र प्रसाद, वार्ड नं०—05, ग्राम+पो०— सिरहारी, थाना—इस्लामपुर, जिला—नालंदा, पिन—803116	
9	116948/ 10	सुश्री हरजीत कौर बच्चू / बस्तर (छतीसगढ़)	16.04.1995	अनारक्षित / अनारक्षित	सुश्री हरजीत कौर बच्चू, पिता—श्री सुखजीत सिंह बच्चू, द न्यू बस्तर फर्नीचर, नयापारा, गीदम मार्ग, जगदलपुर, जिला—बस्तर (छतीसगढ़), पिन—494001	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
10	104112/ 11	श्री राहुल रंजन / पटना	07.07.1992	पि०व० / अनारक्षित	श्री राहुल रंजन, पिता—श्री विजय कुमार, वार्ड नं०—44, सुभाष नगर, रोड नं०—06, नियर खेमनीचक, पो०—न्यू जगनपुरा, थाना—रामकृष्णा नगर, जिला—पटना, पिन—800027	
11	110816/ 12	मो० बदिऊज्जमां / अररिया	08.10.1995	अ०पि०व० / अनारक्षित	मो० बदिऊज्जमां, पिता—मो० नौशाद आलम, ग्राम—सिंगारमोहनी, पो०+थाना—जोकीहाट, जिला— अररिया, पिन—854329	
12	108966/ 13	श्री नित्यानन्द प्रकाश / रोहतास	02.04.1998	अ०जा० / अनारक्षित	श्री नित्यानन्द प्रकाश, पिता—श्री अनुग्रह नारायण राम, ग्राम+पो०—इंदौर, थाना—दिनारा, जिला—रोहतास, पिन—802213	
13	108044/ 14	श्री मोनू कुमार / नालंदा	26.12.1996	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री मोनू कुमार, पिता—श्री मनोज कुमार गुप्ता, मोहल्ला—करुणाबाग, पो०+थाना— सोहसराय, जिला—नालंदा, पिन— 803101	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
14	120868/ 15	श्री सिद्धार्थ भारद्वाज / पाली- मारवाड़ (राजस्थान)	26.05.1992	अनारक्षित / अनारक्षित	श्री सिद्धार्थ भारद्वाज, पिता-श्री योगेश शर्मा, A/D-60, शिवाजी नगर, पाली, जिला-पाली-मारवाड़ (राजस्थान), पिन-306401	
15	111077/ 16	मो० नौशाद अंसारी / रोहतास	15.03.1994	अ०पि०व० / अनारक्षित	मो० नौशाद अंसारी, पिता-श्री फारुक अंसारी, वार्ड नं०-03, ग्राम-इटवां, पो०-धनेज, थाना-कोचस, जिला-रोहतास, पिन-821107	
16	111562/ 18	श्री अभिनंदन कुमार अभय / मधेपुरा	09.12.1991	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री अभिनंदन कुमार अभय, पिता-श्री उपेन्द्र प्रसाद मंडल, ग्राम-रतनपट्टी, पो०-रतनपट्टी, थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा, पिन-852122	
17	104472/ 19	श्री शुभम गुप्ता / झाँसी (उ०प्र०)	02.04.1995	अनारक्षित / अनारक्षित	श्री शुभम गुप्ता, पिता-श्री राधे श्याम गुप्ता, 605 / 1, नियर कानपुर रेलवे लाइन, सी पी मिशन कम्पाउन्ड, झाँसी (उ०प्र०), पिन-284003	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
18	108961/ 20	श्री विवेक कुमार / वैशाली	18.07.1995	अ०जा० / अनारक्षित	श्री विवेक कुमार, पिता—श्री विनोद कुमार, शिवपुरी नगर, सीता चौक, हाजीपुर, पो०+थाना—हाजीपुर, जिला—वैशाली, पिन—844101	
19	107978/ 21	श्री आनंद भारतीय / बेगूसराय	18.07.1993	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री आनंद भारतीय, पिता—श्री राम बिलास दास, विष्णुपुर पश्चिम, डॉ एस एस पी चौधरी मार्ग की पीछे, वार्ड नं०—40, जिला— बेगूसराय, पिन—851129	
20	102504/ 22	श्री फैजान आलम / नालंदा	16.02.1996	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	श्री फैजान आलम, पिता—मो० अबुल्लैस, ग्राम—कपसिया, पो०—मौलानाचक, थाना—इस्लामपुर, जिला—नालंदा, पिन—803116	
21	110409/ 23	श्री राजेश कुमार / नवादा	15.01.1997	पि०व० / अनारक्षित	श्री राजेश कुमार, पिता—श्री राज कुमार प्रसाद, ग्राम—भौआर, पो०—बिरनावाँ, थाना—काशीचक, जिला— नवादा, पिन—805130	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
22	106218/ 24	श्री शिव प्रकाश साह / भोजपुर	10.02.1994	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री शिव प्रकाश साह, पिता—श्री जवाहर साह, ग्राम—गंज, पो०—ओसैन, थाना—बिहिया, जिला—भोजपुर, पिन—802183	
23	117896/ 25	श्री मुकेश कुमार / समस्तीपुर	10.11.1996	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री मुकेश कुमार, पिता—शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा, ग्राम+पो०—निकसपुर, वार्ड सं०—04, थाना—ताजपुर, जिला—समस्तीपुर, पिन—848121	
24	105422/ 26	श्री प्रकाश कुमार / वैशाली	31.03.1996	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	श्री प्रकाश कुमार, पिता—श्री चन्द्रकेत सिंह, ग्राम—असकरणपुर, पो०—बोअरिया, थाना—सराय, जिला—वैशाली, पिन—844114	
25	105975/ 27	श्री पुरुषोत्तम कुमार चौधरी / मधुबनी	03.02.1994	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, पिता—स्व० गयाधर चौधरी, ग्राम—गौड़ अंधरा, पो०—अंधराठाढ़ी, थाना—रुद्रपुर, जिला—मधुबनी, पिन—847401	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
26	112481/ 28	श्री विकास कुमार / रोहतास	14.12.1994	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री विकास कुमार, पिता—श्री अभय प्रसाद, मोहल्ला—सोनारटोली, पो०+थाना— सासाराम, जिला—रोहतास, पिन—821115	
27	114920/ 29	श्री सुभाष कुमार रंजन / शेखपुरा	10.02.1996	पि०व० (दिव्यांग—OH) / अनारक्षित	श्री सुभाष कुमार रंजन, पिता—श्री जागेश्वर यादव, ग्राम+पो०—एकरामा, थाना—चेवारा, जिला—शेखपुरा, पिन—811304	
28	116291/ 30	श्री अखिल कुमार / गया जी	28.01.1995	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री अखिल कुमार, पिता—अनिल कुमार, मोहल्ला—मंगला गौरी गेट के अंदर, थाना—विष्णुपद, पो०—चौद चौरा, जिला—गया जी, पिन—823001	
29	116368/ 31	श्री अमरजीत रंजन / गया जी	30.01.1995	अनारक्षित / अनारक्षित	श्री अमरजीत रंजन, पिता—श्री अजय कुमार, ग्राम—श्याम नगर, पो०—धसीनगरा, थाना—महकार, जिला—गया जी, पिन—824233	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
30	118280/ 32	श्री बबलू कुमार / लखीसराय	15.06.1991	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री बबलू कुमार, पिता—श्री हरिनंदन राम ग्राम—रामनगर, पो०—मनकट्टा, थाना—अमहरा, जिला— लखीसराय, पिन—811311	
31	103076/ 33	श्री बृज मोहन सिंह / कुशीनगर (उ०प्र०)	19.07.1997	अनारक्षित / अनारक्षित	श्री बृज मोहन सिंह, पिता—श्री सुकुल सिंह, ग्राम—पचार, पो०—खभराभार, थाना—कप्तानगंज, जिला—कुशीनगर (उ०प्र०), पिन—274301	
32	106562/ 34	श्री आलोक रंजन / मुजफ्फरपुर	28.03.1993	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	श्री आलोक रंजन, पिता—स्व० सुधेश्वर ठाकुर, ग्राम—कुशी हरपुरमनी, पो०+थाना—कांटी, जिला—मुजफ्फरपुर, जिला—843109	
33	119822/ 35	श्री विजय कुमार / नवादा	15.08.1993	पि०व० / अनारक्षित	श्री विजय कुमार, पिता—श्री जयपाल सिंह यादव, ग्राम—बरियारपुर, पो०+थाना—कौवाकोल, जिला—नवादा, पिन—805106	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
34	105218/ 36	श्री असित कुमार / पूर्णियाँ	23.10.1985	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री असित कुमार, पिता—श्री शिव कुमार भगत, ग्राम—तरबन्ना, पो०—मधुबनी, थाना—कै० हाट, जिला—पूर्णियाँ, पिन—854301	
35	118620/ 37	श्री जीतू कुमार / गया जी	25.12.1990	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री जीतू कुमार, पिता—श्री राजेन्द्र प्रसाद, मोहल्ला—खरखुरा मेन रोड, पो०— आर एस, थाना—डेल्ला, जिला— गया जी, पिन—823002	
36	103859/ 38	श्री शुभम कुमार सिंह / वैशाली	18.02.1993	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (FFD) / अनारक्षित	श्री शुभम कुमार सिंह, पिता—श्री रणविजय सिंह, ग्राम—फतेहपुर बुजुर्ग, पो०—चकजमाल (सहदेई बुजुर्ग), थाना—सहदेई ओ० पी०, जिला— वैशाली, पिन—844509	
37	105905/ 39	श्री गोविन्द कुमार कामत / मधुबनी	10.03.1994	अ०पि०व० / अनारक्षित	श्री गोविन्द कुमार कामत, पिता—श्री चन्देश्वर कामत, ग्राम—गोदामटोल, पो०—महथा, भाया—लदनियाँ, जिला—मधुबनी, पिन—847232	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
38	119911/ 58	सुश्री साक्षी कुमारी / रोहतास	16.07.1995	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	सुश्री साक्षी कुमारी, पिता—श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ग्राम+पो0—डेढ़गांव, थाना—दावत, जिला—रोहतास, पिन—802226	
39	107480/ 61	श्रीमती खुशबू कुमारी / पटना	28.02.1994	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	श्रीमती खुशबू कुमारी, पिता—श्री अशोक कुमार सिंह, वार्ड सं०—08, ग्राम—शिवनार, थाना—मोकामा, जिला—पटना, पिन—803302	
40	111120/ 62	श्रीमती नीतू शर्मा / पटना	01.02.1995	अनारक्षित / अनारक्षित	श्रीमती नीतू शर्मा, पिता—श्री अनिल शर्मा, C/O—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय, नियर गाँधी मैदान, मसौढ़ी, जिला—पटना, पिन—804452	
41	111930/ 91	सुश्री राज श्री / मुंगेर	19.08.1997	अ०जा० / अनारक्षित	सुश्री राज श्री, पिता—श्री दिलीप कुमार पासवान, ग्राम—आदमपुर, थाना—नयारामनगर, पो०—सफियाबाद, जिला—मुंगेर, पिन—811214	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
42	118647/ 102	सुश्री आकांक्षा कुमारी / पटना	27.10.2000	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री आकांक्षा कुमारी, पिता—श्री सुनील कुमार दत्त, वार्ड नं०—30, ग्राम—आदर्श नगर, पो०—न्यू जगनपुरा, थाना— रामकृष्णा नगर, जिला—पटना, पिन—800027	
43	105568/ 112	श्रीमती निशा कुमारी / पटना	08.08.1996	अ०जा० / अनारक्षित	श्रीमती निशा कुमारी, पिता—उमेश्वर कुमार, न्यू एतवारपुर, ढलाई रोड, पो०—कुथौल, थाना—परसा बाजार, जिला—पटना, पिन—804453	
44	107560/ 127	सुश्री क्रिस्टल / पटना	27.07.1996	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री क्रिस्टल, पिता—चन्द्र शेखर प्रसाद, हाउस—करुणा कुटीर, भगत सिंह चौक, आर के नगर, पो०—न्यू जगनपुरा, थाना—रामकृष्णा नगर जिला—पटना, पिन—800027	
45	114458/ 241	सुश्री बिन्नी कुमारी / पटना	04.08.1995	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री बिन्नी कुमारी, पिता—श्री परमेश्वर कुमार, नियर स्टेट बोरिंग, न्यू एरिया, हरनीचक, वाशिष्ट कॉलोनी, पो०—अनिसाबाद, थाना—फुलवारी शरीफ, जिला—पटना, पिन—800002	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
46	110629/ 280	श्रीमती मीनाक्षी कुमारी / सहरसा	09.12.1996	अनारक्षित / अनारक्षित	श्रीमती मीनाक्षी कुमारी, पिता—श्री मुन्ना कांत सिंह, ग्राम+पो०—मोहनपुर, थाना—नवहट्टा, जिला—सहरसा, पिन—852123	
47	104724/ 426	सुश्री कुमारी सुरभि / भोजपुर	20.02.1997	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	सुश्री कुमारी सुरभि, पिता—स्व० श्याम नारायण सिंह, ग्राम—अकौना, पो०—अकौना, थाना—बड़हारा, जिला—भोजपुर, पिन—802311	
48	118195/ 429	सुश्री राशि / पटना	22.08.1997	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री राशि, पिता—स्व० शंकर प्रसाद, रोड नं०—9, शफी आलम रोड, राम जयपाल नगर, गोला रोड, पो०—दानापुर, थाना—रूपसपुर, जिला—पटना, पिन—801503	
49	120622/ 463	सुश्री कुमारी नेहा सिन्हा / नालंदा	06.02.1997	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री कुमारी नेहा सिन्हा, पिता—श्री कमलेश प्रसाद, ग्राम—सुल्तानपुर, पो०—रहुई, थाना—रहुई, जिला—नालंदा, पिन—803119	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
50	118379/ 469	सुश्री निक्की कुमारी / पूर्वी चंपारण	27.02.1998	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री निक्की कुमारी, पिता—श्री दीनानाथ प्रसाद, ग्राम—रूपडीह, पो०—मनिकपुर, थाना—हरसिद्धी, जिला—पूर्वी चंपारण, पिन—845437	
51	110803/ 481	सुश्री रितुल रंजन / पटना	25.01.2002	अ०पि०व० / अनारक्षित	सुश्री रितुल रंजन, पिता—श्री राकेश रंजन, शांति नगर, नियर गुलडाक स्थान के पीछे, दानापुर, पो०—दीघा, थाना—दानापुर, जिला—पटना, पिन—800012	
52	118691/ 518	सुश्री रिया कुमारी / भागलपुर	12.02.1998	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री रिया कुमारी, पिता—श्री रंजीत कुमार, आनंद नगर, सेक्टर—02, वार्ड नं०—05, पो०—सबौर, जिला—भागलपुर, पिन—813210	
53	116528/ 558	श्रीमती अंजलि राज / पटना	25.12.1996	पि०व० / अनारक्षित	श्रीमती अंजलि राज, पिता—संजय सिंह, C/O—विजय कुमार सिंह, रामालेन, पूर्वी शिवपुरी, पो०+थाना—शास्त्रीनगर, जिला—पटना, पिन—800023	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
54	120009/ 576	सुश्री प्रियांशु कुमारी सिन्हा / गया जी	24.11.1999	अ०पि०व० / अनारक्षित	सुश्री प्रियांशु कुमारी सिन्हा पिता-परशुराम कुमार सिंह, ग्राम-गाजीपुर, पो०-अदई, थाना-कौंच, जिला-गया जी, पिन-824207	
55	119916/ 586	सुश्री स्वेता कुमारी / औरंगाबाद	05.01.2002	अ०जा० / अनारक्षित	सुश्री स्वेता कुमारी, पिता-श्री महेन्द्र राम, ग्राम-औरडीह, पो०+थाना- कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद, पिन-824123	
56	107214/ 624	सुश्री हनी सिंह / सीवान	08.06.2000	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनारक्षित	सुश्री हनी सिंह, पिता-श्री मनोज कुमार सिंह ग्राम+पो०-सेवतापुर, थाना-मैरवां, जिला-सीवान, पिन-841239	
57	109290/ 56	श्री राहुल कुमार / नालंदा	02.02.1994	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री राहुल कुमार, पिता-श्री उदय सिंह, ग्राम-माहुरी, पो०+थाना-नालंदा, जिला-नालंदा, पिन-803111	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
58	109615/ 92	श्री अमीत कुमार / पटना	04.03.1996	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री अमीत कुमार, पिता—श्री बिरेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0—दक्षिणीचक , थाना— अथमलगोला, जिला—पटना, पिन—803211	
59	108996/ 101	श्री आलोक कुमार झा / भागलपुर	17.02.1998	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री आलोक कुमार झा, पिता—श्री मनोज कुमार झा, ज्योति बिहार कॉलोनी, पो0—बहादुरपुर, थाना— जीरो माईल, जिला—भागलपुर, पिन—813210	
60	113136/ 105	श्री दीपांशु कुमार मिश्रा / पश्चिमी चम्पारण	21.11.1991	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री दीपांशु कुमार मिश्रा, पिता—श्री शैलेन्द्र मिश्रा, ग्राम+पो0—धनकुटवा, थाना—बलथर, जिला—पश्चिमी चम्पारण, पिन—845449	
61	116877/ 107	श्री मनमीत राज मिश्रा / रोहतास	28.12.1995	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री मनमीत राज मिश्रा, पिता—श्री अजय कुमार मिश्रा, ग्राम+पो0—तिलौथू, थाना—तिलौथू, जिला—रोहतास, पिन—821312	

क्र० सं०	अनुक्रमांक/समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि/चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
62	115953/ 108	श्री शाश्वत कुमार/ अरवल	18.01.1996	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री शाश्वत कुमार, पिता—श्री प्रसून बिहारी सिंह, नियम प्राथमिक विद्यालय, ग्राम+पो0—मानिकपुर, थाना—मानिकपुर, वार्ड नं0—07, कुर्था, जिला—अरवल, पिन—804421	
63	118954/ 119	श्री प्रशांत कुमार झा /मधुबनी	24.12.1998	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री प्रशांत कुमार झा, पिता—श्री नवीन झा, ग्राम+पो0—उतरा, थाना—शारघाट, जिला—मधुबनी, पिन—847308	
64	104200/ 842	सुश्री शालिनी सिंह /भोजपुर	10.11.1998	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सुश्री शालिनी सिंह, पिता—श्री राकेश कुमार सिंह वार्ड नं0—17, ग्राम—जादोपुर, पो0—महुआन, थाना—तियर, जिला—भोजपुर, पिन—802183	
65	114967/ 915	सुश्री सोनम कुमारी /नवादा	25.03.2000	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सुश्री सोनम कुमारी, पिता—श्री प्रमोद शर्मा, ग्राम—सोरहीपुर, पो0—कोचगाँव, थाना—वारसलिगंज, जिला—नवादा, पिन—805130	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
66	116205/ 1147	सुश्री मानसी झा / दरभंगा	17.02.1999	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सुश्री मानसी झा, पिता—श्री हरेन्द्र कुमार झा, प्रोफेसर कॉलोनी, दिग्धी वेस्ट, लेन नं०—2, वार्ड सं०—18, पो०—लालबाग, थाना—नगर, जिला—दरभंगा, पिन—846004	
67	108287/ 1240	सुश्री सृष्टि सिंह / पटना	25.09.2002	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सुश्री सृष्टि सिंह, पिता—श्री सजल कुमार सिंह, ग्राम+पो०—गोपालपुर, थाना— नौबतपुर, जिला—पटना, पिन—801109	
68	108577/ 44	श्री पीयूष कुमार / नालंदा	10.05.1995	अ०जा० / अ०जा०	श्री पीयूष कुमार, पिता—स्व० महावीर दास, ग्राम—जैतीपुर, पो०+थाना— चण्डी, जिला—नालंदा, पिन—803108	
69	116770/ 48	श्री दीपक कुमार / औरंगाबाद	05.09.2002	अ०जा० / अ०जा०	श्री दीपक कुमार, पिता—श्री रामनन्दन राम, ग्राम—राजबरिया खुर्द, पो०—राजबरिया कला, थाना—नवीनगर, जिला—औरंगाबाद, पिन—824301	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
70	100496/ 79	श्री वरुण कुमार / कैमूर	17.01.1996	अ०जा० / अ०जा०	श्री वरुण कुमार, पिता—श्री नन्दलाल प्रसाद, ग्राम—मोकरम, पो०—जैतपुर (कलौं), थाना—भगवानपुर, जिला—कैमूर (भभुआ), पिन—821102	
71	120262/ 81	श्री देश बन्धु समस्तीपुर	10.01.1992	अ०जा० / अ०जा०	श्री देश बन्धु, पिता—स्व० उमेश्वर दास, AT—धरमपुर, वार्ड नं०—05, नियर रेलवे गेट नं०—54C, ताजपुर रोड, जिला—समस्तीपुर, पिन—848101	
72	101572/ 82	श्री अमरेन्द्र कुमार / कैमूर	27.07.1992	अ०जा० / अ०जा०	श्री अमरेन्द्र कुमार, पिता—श्री अंतु राम, ग्राम—भेकाश, पो०—अखलासपुर, थाना—भभुआ, जिला—कैमूर (भभुआ), पिन—821101	
73	107268/ 88	श्री हर्ष प्रताप / गया जी	02.12.1998	अ०जा० / अ०जा०	श्री हर्ष प्रताप, पिता—श्री उदय पासवान, वार्ड नं०—08, ग्राम—बहेरा, पो०—मंडौली, थाना—फतेहपुर, जिला—गया जी, पिन—824232	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
74	109604/ 90	श्री विवेक कुमार / मधुबनी	02.04.1996	अ०जा० / अ०जा०	श्री विवेक कुमार, पिता—श्री कृष्ण कुमार दास, लहेरी टोला, ग्राम+पो०—पंडौल, थाना—पंडौल, जिला—मधुबनी, पिन—847234	
75	115978/ 172	श्री सूरज कुमार / भागलपुर	18.06.2001	अ०जा० / अ०जा०	श्री सूरज कुमार, पिता—श्री गनौरी रविदास, वार्ड नं०—14, ग्राम—पूरब टोला भोलसर, पो०— एकचारी, थाना—कहलगांव, जिला—भागलपुर, पिन—813204	
76	108075/ 1086	सुश्री सम्बोधि कमल / मुजफ्फरपुर	14.04.2001	अ०जा० / अ०जा०	सुश्री सम्बोधि कमल, पिता—शिव शंकर रजक, ग्राम—जेल रोड पक्की सराय, थाना—मिठनपुरा, पो०— मुजफ्फरपुर, जिला—मुजफ्फरपुर, पिन—842001	
77	106554/ 1850	सुश्री आरती कुमारी / नवादा	15.07.1997	अ०जा० / अ०जा०	सुश्री आरती कुमारी, पिता—श्री अर्जुन कुमार चौधरी, ग्राम—सोहजाना, पो०—सिसवाँ, थाना—नवादा सदर, जिला— नवादा, पिन—805111	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
78	117394/2161	सुश्री आस्था कुमारी / भागलपुर	24.07.2001	अ०जा० / अ०जा०	सुश्री आस्था कुमारी, पिता—श्री सोती रजक, वार्ड नं०—07, नया टोला, देशरी, जगदीशपुर, पो०+थाना—जगदीशपुर, जिला— भागलपुर, पिन—813105	
79	106164/2396	सुश्री क्रीति कुमारी / भोजपुर	20.10.1996	अ०जा० / अ०जा०	सुश्री क्रीति कुमारी, पिता—श्री उमेश्वर राम, ग्राम—खैरा, पो०+थाना—सहार, आरा, जिला—भोजपुर, पिन—802208	
80	115046/ 663	श्री मनीष कुमार रंजन / भोजपुर	30.09.1997	अ०ज०जा० / अ०ज०जा०	श्री मनीष कुमार रंजन, पिता—श्री राजकिशोर प्रसाद गोड ग्राम—पंचवटी नगर, राजाबाजार, पो०+थाना—बिहियाँ, जिला—भोजपुर, पिन—802152	
81	110884/1059	श्री ऋषव रंजन / भागलपुर	28.03.1997	अ०ज०जा० / अ०ज०जा०	श्री ऋषव रंजन, पिता—श्री शोभा कांत सिंह, ग्राम—खवासपुर (पूरब टोला), पो०—खवासपुर, थाना—एकचारी, जिला—भागलपुर, पिन—813209	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
82	111493/ 45	श्री रवि शंकर / दरभंगा	17.12.1993	अ०पि०व० / अ०पि०व०	श्री रवि शंकर, पिता—श्री सुधीर कुमार ठाकुर ग्राम+पो०—रतनपुरा, थाना—अशोक पेपर मिल, भाया लहेरियासराय, जिला—दरभंगा, पिन—846002	
83	112475/ 46	श्री सौरभ गुप्ता / पटना	30.10.1992	अ०पि०व० / अ०पि०व०	श्री सौरभ गुप्ता, पिता—श्री राज कुमार, कुर्जी कोठिया, विकास नगर, रोड नं०—8, पो०—सदाकत आश्रम, थाना—दीघा, जिला—पटना, पिन—800010	
84	100467/ 50	श्री छोटे कुमार / अरवल	15.10.1993	अ०पि०व० / अ०पि०व०	श्री छोटे कुमार, पिता—श्री सूर्यदयाल चौधरी, ग्राम—अरवल सिपाह, पो०+थाना— अरवल, जिला—अरवल, पिन—804401	
85	106306/ 53	श्री वैभव सागर / पटना	11.03.1993	अ०पि०व० / अ०पि०व०	श्री वैभव सागर, पिता—श्री सुन्दर साहु, 72E, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, जिला—पटना, पिन—800013	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
86	105009/ 54	श्री जितेन्द्र कुमार कामत / मधुबनी	02.02.1995	अ०पि०व० / अ०पि०व०	श्री जितेन्द्र कुमार कामत, पिता—श्री शिवनंदन कामत, ग्राम—देवनाथ पट्टी, पो०—सरौती, थाना—घोघरडीहा, जिला—मधुबनी, पिन—847402	
87	115266/ 63	श्री कुमार नवीन आनंद / पटना	12.01.1996	अ०पि०व० (FFD) / अ०पि०व०	श्री कुमार नवीन आनंद, पिता—श्री शम्भु कुमार, चीरयाटांड, बुध नगर, रोड नं०—2, पो०—जी०पी०ओ०, थाना—ककड़बाग, जिला—पटना, पिन—800001	
88	114247/ 76	मो० अजीमुद्दीन / अररिया	14.03.1993	अ०पि०व० / अ०पि०व० (दिव्यांग— OH)	मो० अजीमुद्दीन, पिता—श्री सोयेबुर रहमान, ग्राम—खोरागाछ, वार्ड नं०—4, पो०—पररिया, थाना—सिकटी, जिला—अररिया, पिन—854333	
89	102155/ 709	सुश्री पूजा कुमारी / भागलपुर	30.01.1997	अ०पि०व० / अ०पि०व०	सुश्री पूजा कुमारी, पिता—श्री दिनेश साह, मुंडीचक, नियर जी०पी०वर्मा लेन, सहारा मिशन स्कूल भागलपुर, पो०—हेड पोस्ट ऑफिस, थाना—तिलकामांडी, जिला— भागलपुर, पिन—812001	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
90	119064/ 711	सुश्री रिचा कुमारी / भोजपुर	02.09.1997	अ०पि०व० / अ०पि०व०	सुश्री रिचा कुमारी, पिता—श्री कैलाश ठाकुर, वार्ड नं०—02, ग्राम—जैतपुरा, पो०—ठकुरी, थाना—चरपोखरी, जिला—भोजपुर, पिन—802207	
91	120538/ 739	सुश्री प्रियंका कुमारी / नवादा	15.03.2002	अ०पि०व० / अ०पि०व०	सुश्री प्रियंका कुमारी, पिता—श्री नरेश साव, ग्राम+पो०—लौंद, थाना—सिरदला, जिला—नवादा, पिन—805122	
92	119203/ 767	सुश्री मेघानी आर्या / सीतामढ़ी	05.08.1996	अ०पि०व० / अ०पि०व०	सुश्री मेघानी आर्या, पिता—अरुण कुमार, वार्ड नं०—18, मेन रोड, पो०+थाना—बैरगनिया, नियर जौहारीमल हाई स्कूल, जिला—सीतामढ़ी, पिन—843313	
93	103207/ 1076	सुश्री अंकिता कुमारी / नवादा	25.05.2000	अ०पि०व० / अ०पि०व०	सुश्री अंकिता कुमारी, पिता—श्री कुमार अभय प्रकाश, ग्राम+पो०—तारगीर, थाना—रजौली, जिला—नवादा, पिन—805125	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
94	114848/ 5088	सुश्री सोनाली कुमारी / पटना	13.08.2002	अ०पि०व० / अ०पि०व० (दिव्यांग- DD)	सुश्री सोनाली कुमारी, पिता-श्री अरुण कुमार, फ्लैट नं०-208, विश्वनाथ प्लाजा, आई०सी०आई०सी०आई० भवन, मीठापुर, जिला-पटना, पिन-800001	
95	114833/ 5720	श्री अंकित राज / नालंदा	11.01.2002	अ०पि०व० / अ०पि०व० (दिव्यांग- MD)	श्री अंकित राज, पिता-श्री बिपिन कुमार, AT-आदर्श नगर, बीच बाजार, रामजानकी ठाकुवाड़ी हरनौत के पीछे, पो०+थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, पिन-803110	
96	117090/ 42	श्री कृष्णा कुमार / समस्तीपुर	29.08.2002	पि०व० / पि०व०	श्री कृष्णा कुमार, पिता-श्री राम पुनीत वर्मा, ग्राम-मिश्रोलिया, पो०-चोरा तभका, थाना-विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर, पिन-848211	
97	108887/ 51	श्री सत्य प्रकाश / नालंदा	28.10.1994	पि०व० (दिव्यांग) / पि०व०	श्री सत्य प्रकाश, पिता-श्री बिजेन्द्र प्रसाद, ग्राम-अलीपुर, पो०-बिसाई बिगहा, थाना-परवलपुर, जिला-नालंदा, पिन-801301	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
98	114923/ 52	श्री ललित कुमार / मुजफ्फरपुर	14.08.1991	पि०व० (दिव्यांग—OH) / पि०व०	श्री ललित कुमार, पिता—श्री सूर्य देव राय, ग्राम—धोबौली, पो०—गोदनपट्टी, थाना—गायघाट, जिला— मुजफ्फरपुर, पिन—843118	
99	110036/ 55	श्री रोहित बिन्दल / औरंगाबाद	13.07.1995	पि०व० / पि०व०	श्री रोहित बिन्दल, पिता—श्री अनील प्रसाद अग्रवाल, सूर्य मंदिर रोड, पो०—ओबरा, जिला—औरंगाबाद, पिन—824124	
100	115710/ 57	श्री रितेश रौशन / अरवल	15.03.1994	पि०व० / पि०व०	श्री रितेश रौशन, पिता—श्री सुभाष चन्द्र यादव, ग्राम—रोजापर, पो०+थाना— अरवल, जिला—अरवल, पिन—804401	
101	100420/ 59	श्री चेतन आनन्द / पटना	23.02.1992	पि०व० / पि०व०	श्री चेतन आनन्द, पिता—श्री चन्द्र देव बरनवाल, C/O—श्री विनोद कुमार, आनंद भवन, मोना प्लास्टिक गली, मुसल्लहपुर हाट, पो०—महेन्द्र, थाना—सुल्तानगंज, जिला— पटना, पिन—800006	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
102	114868/ 70	श्री अनिकेत राज / नालंदा	06.01.1994	पि०व० (दिव्यांग—OH) / पि०व०	श्री अनिकेत राज, पिता—श्री ब्रज किशोर सिन्हा, ग्राम—मसियाँ, पो०—अन्दी, थाना—बिन्द, जिला—नालंदा, पिन—803107	
103	117831/ 630	सुश्री कशिश कुमारी / औरंगाबाद	08.08.2002	पि०व० / पि०व०	सुश्री कशिश कुमारी, पिता—श्री ललन प्रसाद गुप्ता, ग्राम+पो०—खुदवाँ, थाना— खुदवाँ, जिला— औरंगाबाद, पिन—824124	
104	100876/ 834	सुश्री ज्योति कुमारी / दरभंगा	21.03.1997	पि०व० / पि०व०	सुश्री ज्योति कुमारी, पिता—श्री कृष्णा कुमार यादव, ग्राम—बलौट, पो०—चकला, थाना—बहेड़ी, जिला—दरभंगा, पिन—847201	
105	103788/ 917	सुश्री श्वेता सुमन / पटना	28.07.2000	पि०व० / पि०व०	सुश्री श्वेता सुमन, पिता—श्री सतीश कुमार, AT—वृन्दावन, कॉलोनी, विधायकवासिनी नगर, कुम्हारार, बी०एच० कॉलोनी, जिला—पटना, पिन—800026	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
106	114244/ 918	सुश्री आरती कुमारी / गया जी	22.09.2000	पि०व० / पि०व०	सुश्री आरती कुमारी, पिता—श्री शंकर दयाल मिश्रा, कैथबीघा मोड़, नियर पुरानी पोस्ट ऑफिस, खिजरसराय, जिला—गया जी, पिन—824233	
107	110474/ 924	सुश्री तान्या कुमारी / गया जी	24.04.2003	पि०व० / पि०व० की महिला	सुश्री तान्या कुमारी, पिता—श्री अनिल कुमार, गुलाब भवन, जनकपुर, पो०—बुनियादगंज, थाना—मुफसिल, जिला—गया जी, पिन—823003	
108	100388/ 981	सुश्री अलीशा कुमारी / नालंदा	02.08.2001	पि०व० / पि०व० की महिला	सुश्री अलीशा कुमारी, पिता—श्री विश्वम्भर कुमार, ग्राम—मंडाछ, पो०—सोहसराय, थाना—नुरसराय, जिला—नालंदा, पिन—803118	
109	102683/ 1034	सुश्री सुची कुमारी / पटना	25.09.2001	पि०व० / पि०व० की महिला	सुश्री सुची कुमारी, पिता—श्री भारतेन्दु कुमार, वार्ड नं०—61, नियर शिव मंदिर, शिवलोक नगर, शिव मंदिर रोड, पो०—झाऊगंज पटना सिटी, जिला—पटना, पिन—800008	

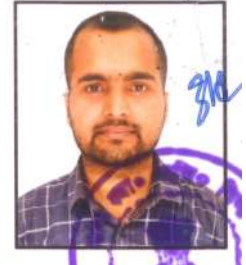
2. नवनियुक्त सभी सहायक अभियंता (असैनिक) के पदस्थापन/कार्यालय आवंटन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) पदस्थापन होने के उपरांत प्रभार ग्रहण करेंगे।
3. बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली-2024 एवं सरकारी सेवक परीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली-2025 के प्रावधानों के आलोक में सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को बिपार्ड, पटना से तिथि निर्धारण होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु सूचना अलग से दी जायेगी।
4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी।
5. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करते हुए आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
6. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों को संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोष या फर्जी पाये जाने पर इनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी। साथ ही उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
7. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया है, वे पदस्थापित कार्यालय योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से निश्चित रूप से समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि/सूचना त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है तो सुधार हेतु संबंधित प्रमाण-पत्र के साथ अपना दावा योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय समर्पित करेंगे।
8. नवनियुक्त ऐसे सहायक अभियंता (असैनिक) जो पूर्व में किसी राज्य सरकार/भारत सरकारी/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें विधिवत् रूप से विरमित/त्याग-पत्र स्वीकृत होने संबंधी प्रमाण-पत्र समर्पित करने के पश्चात् ही विभाग द्वारा योगदान स्वीकार किया जायेगा।
9. आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर किसी उम्मीदवार के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार, अपर सचिव।

9 सितम्बर 2025

सं0 1/ए0-1-101/2024-651—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-33/2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-04, दिनांक-13.08.2025 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा-II में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर वेतन लेवल-09 (वेतनमान-₹53,100-₹1,67,800/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र0 सं0	अनुक्रमांक/ समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि/ चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	200300/ 01	पवन कुमार शर्मा /सीवान	12.10.1996	अ0पि0व0/ अनारक्षित	श्री पवन कुमार शर्मा, पिता-अशोक शर्मा, ग्राम+पो0-मड़कन, थाना-हुसैनगंज, जिला-सीवान, पिन-841226	

क्र० सं०	अनुक्रमांक / समेकित मेधा क्रमांक	नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
2	200420/05	मोनी कुमारी / बांका	07.12.1995	पि०व० / अनारक्षित	सुश्री मोनी कुमारी, पिता—श्री विजय दर्वे, ग्राम—रतनपुर, पो०—मकदूमा, थाना—अमरपुर, जिला—बांका, पिन—813102	
3	200794/50	गणेश कुमार / गया जी	05.01.1996	अनारक्षित / अनारक्षित (दिव्यांग—OH)	श्री गणेश कुमार, पिता—श्री अखिलेश्वर सिंह, मोहल्ला—सिद्धार्थपुरी, कॉलोनी रोड—01, पो०—बुनियादगंज, थाना—मुफ्फसिल, मानपुर, जिला—गया जी, पिन—823003	
4	201083/02	रमित कुमार / भागलपुर	15.01.1994	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	श्री रमित कुमार, पिता—श्री मित्रनाथ मिश्र, ग्राम+पो०—भ्रमरपुर, थाना—भवानीपुर, जिला—भागलपुर, पिन—853201	
5	200325/146	सरोज कुमार / रोहतास	10.03.1997	अ०जा० / अ०जा०	श्री सरोज कुमार, पिता—श्री अशोक कुमार चौधरी, ग्राम—मझिआव, पो०+थाना—दरिहट, जिला—रोहतास, पिन—821306	

2. नवनियुक्त सभी सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पदस्थापन/कार्यालय आवंटन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। नवनियुक्त सहायक अभियंता (यांत्रिक) पदस्थापन होने के उपरान्त प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली-2024 एवं सरकारी सेवक परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली-2025 के प्रावधानों के आलोक में सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (यांत्रिक) को बिपार्ड, पटना से तिथि निर्धारण होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु सूचना अलग से दी जायेगी।

4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी।

5. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त करते हुए आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

6. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों को संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोष या फर्जी पाये जाने पर इनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी। साथ ही उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

7. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया है, वे पदस्थापित कार्यालय योगदान के समय वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से निश्चित रूप से समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि/सूचना त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी है तो सुधार हेतु संबंधित प्रमाण-पत्र के साथ अपना दावा योगदान/प्रभार ग्रहण करने के समय समर्पित करेंगे।

8. नवनियुक्त ऐसे सहायक अभियंता (यांत्रिक) जो पूर्व में किसी राज्य सरकार/भारत सरकारी/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत हैं, उन्हें विधिवत् रूप से विरमित/त्याग-पत्र स्वीकृत होने संबंधी प्रमाण-पत्र समर्पित करने के पश्चात् ही विभाग द्वारा योगदान स्वीकार किया जायेगा।

9. आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर किसी उम्मीदवार के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

10. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार, अपर सचिव।

10 सितम्बर 2025

सं० 1/ए०-1-102/2015-653—माननीय उच्च न्यायालय, पटना अंतर्गत दायर एम०जे०सी० सं०-1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं एम०जे०सी० सं०-1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-06, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा विज्ञापन सं०-02/2017 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के संलग्न सूची के अनुरूप कुल-02 (दो) उम्मीदवारों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वेतन लेवल-09 (वेतनमान-53100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के साथ औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

- (i) इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
- (ii) यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है, जिसके लिये उनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात् पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिवेदन प्रतिकूल रहने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी और अगर कोई राशि वेतन इत्यादि में प्राप्त की गयी होगी तो वह वसूलनीय होगी।
- (iv) मूल प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
- (v) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान/पदग्रहण करने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (vi) बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली-2024 एवं सरकारी सेवक परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली-2025 के प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को बिपार्ड, पटना से तिथि निर्धारण होने के उपरांत प्रशिक्षण हेतु सूचना अलग से दी जायेगी।
- (vii) नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के द्वारा दहेज नहीं लेने-देने संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित किया गया है, उन्हें योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित करना होगा। योगदान के साथ विहित प्रपत्र में सम्पत्ति विवरणी देना होगा।

- (viii) नवनियुक्त ऐसे सहायक अभियंता (असैनिक) जो पूर्व में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमन आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (ix) आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दु पर किसी उम्मीदवार के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
- (x) यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं०-02/2017 के अंतर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नवनियुक्त कुल-02 सहायक अभियंताओं की सूची :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक / मेघा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि	मूल कोटि / चयनित कोटि	स्थायी पता	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	223199/2111	सुश्री दृष्टि श्रीवास्तव, गोरखपुर (उ०प्र०)	22.03.96	UR/UR	सुश्री दृष्टि श्रीवास्तव, पिता-श्री दीना नाथ श्रीवास्तव, म०नं०-HIG193, शास्त्रीपुरम कॉलोनी, पो०+थाना-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-273015	
2	201414/2200	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, नालंदा	04.02.90	UR/UR	श्रीमती कुमारी प्रतिभा, पिता-श्री नवीन कुमार, आस्था सदन, गढ़पर, बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, पिन-803101	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार, अपर सचिव।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2025

सं० 1/प्रति. 5-01/2019-1509—श्री कृष्ण कुमार, भा०प्र०से०, निदेशक, संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यहित में अगले आदेश तक के लिए निदेशक, पुरातत्व, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार सौंपा जाता है।

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रुबी, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

12 सितम्बर 2025

सं० ग्रा०वि०-R-504/98/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-344156)-4595087—श्री अशोक कुमार जिज्ञासु, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-210489), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी (दरभंगा) के विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना में वाद संख्या-37/2021 दीपक कुमार बनाम अक्षय कुमार में माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक-3297 दिनांक-16.12.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) के पत्रांक-01 दिनांक-01.02.2024 द्वारा श्री जिज्ञासु का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री अशोक कुमार जिज्ञासु द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत् जांच हेतु संकल्प संख्या-3192351 दिनांक-20.09.2024 द्वारा श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3630810 दिनांक-28.01.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध लगाये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत श्री जिज्ञासु से विभागीय पत्रांक-3808022 दिनांक-10.03.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, दरभंगा के पत्रांक-365 दिनांक-01.04.2025 द्वारा श्री जिज्ञासु का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त आरोप पत्र, श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री जिज्ञासु से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री जिज्ञासु द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री अशोक कुमार जिज्ञासु, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरारी (भोजपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी (दरभंगा) के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(vi) के तहत "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार जिज्ञासु के विरुद्ध "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री अशोक कुमार जिज्ञासु की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

12 सितम्बर 2025

सं० ग्रा०वि०-14(पटना)बक्सर-03/2018-4595174—सुश्री अर्चना, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-289122) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी (बक्सर) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटैया (गोपालगंज) के विरुद्ध जिला

पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-01-1591 दिनांक-19.09.2018 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय जापांक-400913 दिनांक-11.12.2018 द्वारा सुश्री अर्चना से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं सुश्री अर्चना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु अधिसूचना संख्या-367331 दिनांक-22.01.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-3186059 दिनांक-18.09.2024 द्वारा इनके विरुद्ध 'संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध सुश्री अर्चना द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक-30.10.2024 समर्पित किया गया। विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि सुश्री अर्चना के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत सुश्री अर्चना के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

5 अक्टूबर 2025

सं० ग्रा०वि० R-504/35/2025-SECTION-14-RDD-RDD-4674692—श्री रितम कुमार चौहान, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज, जिला- अररिया (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक- 275480) के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना के पत्रांक 624 अनु०/अप० दिनांक 22.05.2025 एवं पत्रांक 693 दिनांक 03.06.2025 से प्राप्त सूचना के अनुसार, श्री चौहान को दिनांक 20.05.2025 को आर्थिक अपराध इकाई धावा दल द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के उपरांत दिनांक 21.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

2. विभागीय अधिसूचना सं०- 4235993 दिनांक-20.06.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री चौहान को कारा निरोध की तिथि 21.05.2025 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

3. श्री चौहान द्वारा दिनांक- 23.08.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 25.08.2025 के पूर्वाह्न में विभाग में अपना योगदान समर्पित किया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री चौहान को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-25.08.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

5. चूंकि श्री चौहान के विरुद्ध रिश्वत लेने जैसे गंभीर कदाचार / भ्रष्टाचार का आरोप है।

अतः श्री चौहान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 2005 के नियम 9(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि में श्री चौहान का मुख्यालय उप विकास आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया निर्धारित किया जाता है ।

7. निलंबन अवधि में श्री चौहान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

8. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

6 अक्टूबर 2025

संO R-503/09/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-370693)—4680054—श्री सुनील कुमार चाँद (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-236761), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल (नवादा) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, झांझा (जमुई) के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं कन्या विवाह योजना में वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग जैसे – आवास योजना के लाभुक की मृत्यु होने जाने के बाद भी मृतक के बैंक खाते से स्वयं मृतक के नाम से फर्जी तरीके से राशि की निकासी किया जाना, एक ही लाभुक को दो बार आवास योजना का लाभ दिया जाना, आवास योजना की राशि लाभुक को न देकर किसी अन्य को हस्तांतरित करने, सरकारी सेवा में कार्यरत रहने के बावजूद आवास योजना का लाभ उनके पत्नी को देने, कन्या विवाह योजना में लाभुकों द्वारा दस्तावेजों पर अंकित हस्ताक्षर, अभिश्रव पर अंकित हस्ताक्षर एवं बैंक भाउचर पर किये गये हस्ताक्षर में भिन्नता पाये जाने इत्यादि आरोपों पर जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक- 160 दिनांक- 01.03.2024 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया । जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर विभागीय पत्रांक- 1/131342/2024 दिनांक- 10.05.2024 द्वारा श्री सुनील कुमार चाँद से स्पष्टीकरण की माँग की गई । श्री सुनील कुमार चाँद, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल (नवादा) संप्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत के पत्रांक- शून्य दिनांक- 26.07.2024 द्वारा स्पष्टीकरण एवं पत्रांक- शून्य दिनांक- 07.08.2024 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया ।

विभागीय पत्रांक-3185770 दिनांक-18.09.2024 द्वारा उप विकास आयुक्त, नवादा से श्री सुनील द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्य की सत्यता से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गयी । उप विकास आयुक्त, नवादा के पत्रांक-834 दिनांक-23.12.2024 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

श्री सुनील कुमार चाँद के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त आरोप पत्र, श्री सुनील द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा उप विकास आयुक्त, नवादा द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उप विकास आयुक्त, नवादा द्वारा आरोपी पदाधिकारी के अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है । श्री सुनील के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसके वृहत एवं गहन जाँच की आवश्यकता है । तदालोक में श्री सुनील कुमार चाँद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में श्री सुनील कुमार चाँद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री नन्द किशोर साह, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा को निदेश दिया जाता है।

एतद् द्वारा श्री सुनील कुमार चाँद को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

6 अक्टूबर 2025

सं० ग्रा०वि०-R-504/22/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-245925)-4680426—श्री ओम राजपूत, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-113392), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर (औरंगाबाद) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू (मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध पदस्थापन अवधि में प्रखंड शिक्षक नियोजन एवं पंचायत शिक्षक नियोजन में विभागीय निदेश का अनुपालन न करते हुए नियोजन की प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने, शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों के मेधा अंक की गणना में गड़बड़ी करने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-03(1) का उल्लंघन करने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-12/वि० दिनांक-25.01.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री राजपूत से विभागीय पत्रांक-2571117 दिनांक-16.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू (मुजफ्फरपुर) के पत्रांक-874 दिनांक-21.03.2024 के माध्यम से श्री ओम राजपूत द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-163 दिनांक-02.11.2024 द्वारा श्री ओम राजपूत के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया जिनमें प्रतिवेदित किया गया है कि औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन के समय श्री राजपूत के द्वारा गणना पूर्णांक 1500 के स्थान पर 800 के आधार पर मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया गया, जो नियमानुकूल सही नहीं था।

श्री ओम राजपूत के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त आरोप, श्री ओम राजपूत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा शिक्षक नियोजन से संबंधित मेधा सूची को बनाने में अनियमितता की गई है एवं उक्त मेधा सूची का प्रकाशन आरोपी पदाधिकारी के कार्यकाल में किया गया था जो विभागीय दिशा-निर्देश के सर्वथा प्रतिकूल है। इनके द्वारा अपने कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती गयी है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री ओम राजपूत, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-113392), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर (औरंगाबाद) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू (मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेश दिया जाता है कि श्री ओम राजपूत के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं

13 सितम्बर 2025

सं० 1/294553—श्रीमती नेहा कुमारी, (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर (भभुआ) (HRMS Employee ID-40215881) का दिनांक 02.06.2025 से 28.11.2025 तक कुल 180 दिनों का प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2024/0164-862/(23) दिनांक 24.06.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में स्वीकृत किया जाता है।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

7 अक्टूबर 2025

सं० 1/304815—सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मु०) (HRMS Employee ID-40000172) को अपने माता-पिता के देखभाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2022/0151/1214(23) दिनांक-22.08.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 26.03.2025 से 15.06.2025 तक कुल 82 (बयासी) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 25.03.2025 तक 83-82=01 दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

8 मई 2025

सं० 10/व्यवसायिक परीक्षा-07-1001/2025-2085—लोक निर्माण विभाग के परिपत्र संख्या-11380 दिनांक-31.05.71 के अनुसरण में जल संसाधन विभाग के लिए गठित परीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार अर्न्तगत निम्नांकित सहायक अभियंताओं (असैनिक) को दिनांक-17.12.2024 से दिनांक-20.12.2024 तक आयोजित प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2024-25 में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्र० सं०	परीक्षार्थी का नाम/आईडी	अनुक्रमांक	पदस्थापित कार्यालय	परीक्षाफल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अंकित कुमार/5887	1	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, संयोजक नहर अवर प्रमंडल, इन्द्रपुरी।	उत्तीर्ण	
2	सुचिता पाल/5707	2	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल, औरंगाबाद।	उत्तीर्ण	

3	उमा शंकर/5595	3	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-01, कुटुम्बा।	उत्तीर्ण	
4	प्रियंका गौतम/5726	4	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल विज्ञान अवर प्रमंडल, पटना।	उत्तीर्ण	
5	तरुण कुमार/J-10088	5	सहायक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।	उत्तीर्ण	
6	अजीत कुमार/5797	7	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।	उत्तीर्ण	
7	कमलेश सिंह/5903	10	सहायक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, दरभंगा।	उत्तीर्ण	
8	मनीष कुमार/5544	11	अवर प्रमंडल पदाधिकारी सोन नहर अवर प्रमंडल, कोआथ।	उत्तीर्ण	
9	अजीत कुमार भारती/5831	12	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-05, घोषी।	उत्तीर्ण	
10	पवन कुमार/J-9891	13	प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।	उत्तीर्ण	
11	शमशेर आलम/5825	14	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-02, गया।	उत्तीर्ण	
12	सौरव कुमार/5838	15	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल, रहिका।	उत्तीर्ण	
13	कपिल प्रसाद/J-9906	16	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
14	सिद्धार्थ कुमार/5808	17	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन उच्चस्तरीय नहर अवर प्रमंडल, भगवानपुर।	उत्तीर्ण	
15	नीरज कुमार भारती/5843	18	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-1, कलुआही।	उत्तीर्ण	
16	अभिषेक आनन्द/5882	19	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-3, गया।	उत्तीर्ण	
17	सुश्री रचना/5774	21	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-01, झंझारपुर।	उत्तीर्ण	
18	रश्मि रानी/J-9927	22	सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल, भागलपुर।	उत्तीर्ण	

19	रमा शंकर सिंह/J-9113	23	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल, सकरी।	उत्तीर्ण	
20	कमल कुमार/5568	25	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल-01, अररिया।	उत्तीर्ण	
21	अंशु अभिषेक/5849	27	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणी नहर अवर प्रमंडल, सुगौली।	उत्तीर्ण	
22	राज कुमार/J-9727	28	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-2, कुटुम्बा।	उत्तीर्ण	
23	सुसंत कुमार/J-9682	31	प्राक्कलन पदाधिकारी, जल निस्सरण प्रमंडल, हाजीपुर।	उत्तीर्ण	
24	अमरनाथ सिंह/J-9728	33	सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णियाँ।	उत्तीर्ण	
25	रेणु कुमारी/J-9867	35	सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल, पटना।	उत्तीर्ण	
26	देवव्रत वर्णवाल/5615	36	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमंडल, नासरीगंज।	उत्तीर्ण	
27	अजय कुमार/5870	37	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-05, राजनगर।	उत्तीर्ण	
28	उदय कुमार सरस्वती/ J-9970	38	सहायक निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र, पटना।	उत्तीर्ण	
29	प्रवेश कुमार/J-10039	39	सहायक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-3, पटना।	उत्तीर्ण	
30	अमित कुमार/5678	40	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल-4, कोपरिया।	उत्तीर्ण	
31	दीपक कुमार/5709	41	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, सिसवन।	उत्तीर्ण	
32	राज उज्जवल/5712	42	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, पूसा रोड।	उत्तीर्ण	
33	अजीत कुमार/5861	43	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल-3, सूर्यगढ़ा, शिविर-मुंगेर।	उत्तीर्ण	
34	प्रियंका चक/5912	44	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-02, नवादा।	उत्तीर्ण	

35	नीतू सिंह/5908	45	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बटाने शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल-2, हरिहरगंज, शिविर- अम्बा।	उत्तीर्ण	
36	वेद प्रकाश कमल/ J-10115	46	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, हुसैनाबाद।	उत्तीर्ण	
37	रोहित कुमार/5889	47	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, दुर्गावती बाँया तट नहर अवर प्रमंडल-1, भीतरीबाँध।	उत्तीर्ण	
38	संतोष कुमार/5890	48	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, दाउदनगर।	उत्तीर्ण	
39	संजीव कुमार/J-10164	49	सहायक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।	उत्तीर्ण	
40	राजेश कुमार/J-9793	50	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमंडल-2, दानापुर।	उत्तीर्ण	
41	कुमार अमृत रंजन/ J-9846	51	प्राक्कलन पदाधिकारी, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर।	उत्तीर्ण	
42	विकाश कुमार/5649	52	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमंडल, कटेसर।	उत्तीर्ण	
43	राजेश कुमार/J-10066	54	प्राक्कलन पदाधिकारी, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा, पटना।	उत्तीर्ण	
44	रश्मि कुमारी/J-10031	56	सहायक अभियंता, रूपाकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, भागलपुर।	उत्तीर्ण	
45	कुलदीप कुमार/5676	57	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल, बहेड़ी।	उत्तीर्ण	
46	हरि ओम/5914	58	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण अवर प्रमंडल, उदाकिशुनगंज।	उत्तीर्ण	
47	अमित गुप्ता/5563	59	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-1, झाझा।	उत्तीर्ण	
48	संजय कुमार/J-9909	61	सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-2, खगौल, पटना।	उत्तीर्ण	
49	प्रेम सागर राय/J-10051	62	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल बाँध एवं बराज अवर प्रमंडल-2, मोहम्मदगंज।	उत्तीर्ण	
50	यतीश कुमार/J-9910	63	सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-1, खगौल, पटना।	उत्तीर्ण	

51	सरोज कुमार सुमन / J-9756	64	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1, खगड़िया।	उत्तीर्ण	
52	विनय कुमार / J-9940	65	सहायक निदेशक, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।	उत्तीर्ण	
53	मधुसूदन कुमार / J-9916	66	सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-1, खगौल, पटना।	उत्तीर्ण	
54	राजेश कुमार मेहरा / J-9859	67	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2, खगड़िया।	उत्तीर्ण	
55	धनन्जय कुमार / J-9934	68	सहायक अभियंता, जल विज्ञान प्रमंडल-2, पटना।	उत्तीर्ण	
56	आशुतोष कुमार सिंह / J-9743	69	सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-1, खगौल, पटना।	उत्तीर्ण	
57	चन्द्रशेखर प्रसाद गुप्ता / J-9878	70	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-1, सोनवर्षा।	उत्तीर्ण	
58	मनमोहन सिंह / J-10080	71	सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-3, खगौल, पटना।	उत्तीर्ण	
59	अनिल कुमार / 5879	72	सहायक अभियंता, रूपाकण प्रमंडल, दरभंगा।	उत्तीर्ण	
60	प्रतिमा कुमारी / 5915	73	सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, जयनगर।	उत्तीर्ण	
61	नितेश कुमार / J-9946	74	प्राक्कलन पदाधिकारी, जल निस्सरण प्रमंडल, दरभंगा।	उत्तीर्ण	
62	नरेन्द्र कुमार सिंह / J-9939	75	सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल-2, पटना।	उत्तीर्ण	
63	सुनीता कुमारी / J-10170	76	सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमंडल-1, पटना।	उत्तीर्ण	
64	गिरिधारी प्रसाद दीपक / J-9713	77	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, धुआवे।	उत्तीर्ण	
65	सत्येन्द्र कुमार / J-9907	79	सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
66	सचिन कुमार / 5590	81	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल, सोनपुर।	उत्तीर्ण	

67	रोहित अभिषेक / 5872	82	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-3, मलियाबाग।	उत्तीर्ण	
68	मनीष कुमार / 5885	84	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, देवरिया।	उत्तीर्ण	
69	उदय कुमार / 5893	85	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-01, मोहनिया।	उत्तीर्ण	
70	अनिल कुमार / J-9835	86	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, पैगम्बरपुर, शिविर-गोशैल।	उत्तीर्ण	
71	प्रशांत कुमार / 5862	88	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-1, मलियाबाग।	उत्तीर्ण	
72	भोला प्रसाद / J-9707	89	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, मोतीपुर।	उत्तीर्ण	
73	राज कुमार पासवान / J-10139	90	सहायक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
74	प्रभात कुमार / 5878	91	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, जैतपुर।	उत्तीर्ण	
75	मंजीत राज / 5824	93	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, पूसा।	उत्तीर्ण	
76	मृणाल गौतम / 5880	94	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर।	उत्तीर्ण	
77	आयुष कुमार / 5821	95	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर।	उत्तीर्ण	
78	हर्ष कुमार सिंह / 5806	97	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, महुआ।	उत्तीर्ण	
79	अजीत कुमार / J-9882	99	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, गया।	उत्तीर्ण	
80	पलक कुमारी / 5925	106	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-03, लक्ष्मीपुर।	उत्तीर्ण	
81	केशरी गौरव / 5811	108	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-1, सिकन्दरा।	उत्तीर्ण	
82	शशि भूषण / J-03MWRD	110	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया।	उत्तीर्ण	

83	किरण कुमारी / 5932	111	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण अवर प्रमंडल, पिपराकोठी।	उत्तीर्ण	
84	अनामिका सिन्हा / 5926	113	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी।	उत्तीर्ण	
85	विक्रम कुमार / 5891	114	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, कटैया।	उत्तीर्ण	
86	मृत्युंजय कुमार / J-9922	115	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल-3, गया।	उत्तीर्ण	
87	अविनाश चन्द्र राजन / 5873	116	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल बरहट, जमुई।	उत्तीर्ण	
88	संजीव कुमार / J-25MWRD	117	प्राक्कलन पदाधिकारी, लघु सिंचाई प्रमंडल, खगड़िया।	उत्तीर्ण	
89	अमरेश गौतम / J-10113	119	प्राक्कलन पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।	उत्तीर्ण	
90	अजय प्रसाद साह / J-9839	120	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-5, खजौली।	उत्तीर्ण	
91	तसनीम कौसर / 5727	121	सहायक अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर।	उत्तीर्ण	
92	जयंत कुमार / J-9849	122	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
93	सरफराज अहमद / 5931	123	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-01, खजौली।	उत्तीर्ण	
94	प्रितम कुमार / 5850	124	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शिविर एवं मार्ग, अवर प्रमंडल, बथनाहा।	उत्तीर्ण	
95	हिमांशु शेखर / 5815	125	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-04, गया।	उत्तीर्ण	
96	प्रणव कुमार / 5827	127	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।	उत्तीर्ण	
97	पवन कुमार / J-9932	128	सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ।	उत्तीर्ण	
98	विजय सिंह / J-9750	129	प्राक्कलन पदाधिकारी, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी।	उत्तीर्ण	

99	प्रभात कुमार साह/5819	130	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-01, पुनपुन।	उत्तीर्ण	
100	कुन्दन कुमार/5852	131	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, विशुनपुर।	उत्तीर्ण	
101	नीरज कुमार/J-10063	132	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-02, बेलहर।	उत्तीर्ण	
102	रौशन कुमार/5810	133	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, खडगपुर।	उत्तीर्ण	
103	खुशबू कुमारी/5920	134	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-1, बेलहर।	उत्तीर्ण	
104	पियूष कुमार/5886	135	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, एकमा।	उत्तीर्ण	
105	जगदीश चन्द्र भारती/ J-9734	137	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमंडल-2, पटनासिटी।	उत्तीर्ण	
106	दिव्यांगना/5906	138	सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल, सहरसा।	उत्तीर्ण	
107	राजीव रंजन/J-10008	139	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, नरहन।	उत्तीर्ण	
108	आनन्द प्रकाश/J-9879	140	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, सिउरीघाट।	उत्तीर्ण	
109	नेहा कुमारी/5933	141	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, अरेराज।	उत्तीर्ण	
110	स्वाती कुमारी/5921	142	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-02, मदनपुर, शिविर-औरंगाबाद।	उत्तीर्ण	
111	प्रवीण कुमार झा/5834	143	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-02, अम्बा।	उत्तीर्ण	
112	अभिलाष कुमार/5855	145	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-1, राजविराज।	उत्तीर्ण	
113	मिथिलेश कुमार/J-9673	146	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-01, बिहारशरीफ।	उत्तीर्ण	
114	सुमन कल्याण/J-9840	147	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-04, बिहारशरीफ।	उत्तीर्ण	

115	अनूप कुमार शर्मा/5881	148	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-02, बिहारशरीफ।	उत्तीर्ण	
116	रवि कुमार सिंह/J-9717	150	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-02, झंझारपुर।	उत्तीर्ण	
117	संतोष कुमार सुमन/ J-9852	152	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज।	उत्तीर्ण	
118	संगीता कुमारी/5922	154	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अवर प्रमंडल-2, अररिया।	उत्तीर्ण	
119	विनोद कुमार/J-9702	156	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
120	मो0 अशफाक आलम/ 5823	159	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल, कपिलेश्वर स्थान।	उत्तीर्ण	
121	अनुराग कुमार/5865	160	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-04, बेनीपट्टी।	उत्तीर्ण	
122	राहुल कुमार/5863	161	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-02, बेनीपट्टी।	उत्तीर्ण	
123	देवेन्द्र प्रसाद/5632	162	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण अवर प्रमंडल-01, दरभंगा।	उत्तीर्ण	
124	पप्पू कुमार मिश्रा/J-10068	163	सहायक अभियंता, आयोजन एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल, समस्तीपुर।	उत्तीर्ण	
125	कुमार विवेक/5894	164	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल-02, पारू।	उत्तीर्ण	
126	मुकेश कुमार/J-9745	165	प्राक्कलन पदाधिकारी, सिकरहना तटबन्ध प्रमंडल, मोतिहारी।	उत्तीर्ण	
127	मो0 जिशान अली/5848	166	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल-01, रतवारा, मुख्यालय मोतीपुर।	उत्तीर्ण	
128	मणि शंकर तिवारी/5572	167	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जमानियाँ पम्प नहर अवर प्रमंडल-01, नुआँव।	उत्तीर्ण	
129	विजय प्रसाद/J-10130	168	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी।	उत्तीर्ण	
130	प्रकाश सिंह/J-10100	169	प्राक्कलन पदाधिकारी, जमानियाँ पम्प नहर प्रमंडल, मोहनियाँ।	उत्तीर्ण	

131	उमेश चन्द्र / J-9781	170	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जमानियाँ पम्प नहर अवर प्रमंडल-02, नुआँव।	उत्तीर्ण	
132	अमित कुमार रंजन / 5682	174	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, लौरिया।	उत्तीर्ण	
133	बज्रकिशोर भारती / J-9783	176	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-2, नवगछिया।	उत्तीर्ण	
134	विष्णु कुमार / 5904	177	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, मटकोटा।	उत्तीर्ण	
135	प्रभात रंजन प्रभात / 5837	178	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, नौतन।	उत्तीर्ण	
136	विजय कुमार / 5876	179	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान।	उत्तीर्ण	
137	अनिल कुमार / J-9764	180	सहायक अभियंता, रूपाकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।	उत्तीर्ण	
138	शैलेश कुमार / J-9819	183	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
139	रत्नेश कुमार / 5846	185	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, दाउदपुर।	उत्तीर्ण	
140	अनीश कुमार पटेल / 5813	186	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, मांझी।	उत्तीर्ण	
141	रंजन कुमार देशमुख / J-9678	188	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल-1, गया।	उत्तीर्ण	
142	कृष्ण कुणाल कुमार / 5854	189	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, मुख्यालय बेतिया।	उत्तीर्ण	
143	मधु रानी / 5929	190	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा।	उत्तीर्ण	
144	अंजली साह / 5928	191	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण अवर प्रमंडल-2, चन्द्रावत, शिविर-बेतिया।	उत्तीर्ण	
145	मनीष कुमार चौधरी / 5869	192	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल-5, मोतिहारी।	उत्तीर्ण	
146	विनोद प्रकाश / J-10065	193	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल-2, मोतिहारी।	उत्तीर्ण	

147	सुनील कुमार/5446	195	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, मधुबन।	उत्तीर्ण	
148	विकास कुमार/5812	196	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, दुर्गावती बायों तट नहर अवर प्रमंडल, बेलाँव।	उत्तीर्ण	
149	शालिनी कुमारी गुप्ता/5761	197	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, शेखपुरा।	उत्तीर्ण	
150	मनीष कुमार/5877	198	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, सहरसा।	उत्तीर्ण	
151	काजल रंजन/5927	200	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पुनपुन बराज अवर प्रमंडल-08, गोह।	उत्तीर्ण	
152	राजीव नयन/5826	202	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, नीमाचौदपुर।	उत्तीर्ण	
153	सौरभ कुमार/5845	203	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पुनपुन बराज अवर प्रमंडल-1, गोह।	उत्तीर्ण	
154	मनोज कुमार/J-9709	204	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-1, दलसिंहसराय।	उत्तीर्ण	
155	धीरज कुमार/5899	205	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, सरैया।	उत्तीर्ण	
156	मो0 शालिक फरीदी/5829	206	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, बगहा।	उत्तीर्ण	
157	मनीष कुमार गुप्ता/ J-10095	207	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-2, दलसिंहसराय।	उत्तीर्ण	
158	आकांक्षा /5910	208	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, बौसी।	उत्तीर्ण	
159	मो0 सनाउल्लाह/5897	209	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी तटबंध अवर प्रमंडल, सिमरी।	उत्तीर्ण	
160	संजीव कुमार रंजन/ J-9899	210	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
161	गौरव /5830	211	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, रघुनाथपुर।	उत्तीर्ण	
162	संजय कुमार सिंह/ J-09MWRD	212	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, छपरा।	उत्तीर्ण	
163	बोध कृष्ण बब्लू/J-10136	215	सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना।	उत्तीर्ण	

164	उमेश कुमार बिन्दु / J-9712	217	सहायक अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, वीरपुर।	उत्तीर्ण	
165	अजीत भारती / 5818	218	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, घोड़ासहन नहर अवर प्रमंडल, सिकटा।	उत्तीर्ण	
166	शैलजा नन्दन / J-9945	219	सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण रूपांकण प्रमंडल-4, पटना।	उत्तीर्ण	
167	नितेश कुमार / J-9921	221	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, घोड़ासहन नहर अवर प्रमंडल, रक्सौल।	उत्तीर्ण	
168	केदार नाथ सिन्हा / J-10036	222	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल-3, रतवारा मुख्यालय मनियारी।	उत्तीर्ण	
169	उदय कुमार यादव / J-9703	223	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
170	कौशल कुमार / 5888	224	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल-4, सूर्यगढ़ा, शिविर-मुंगेर।	उत्तीर्ण	
171	अमन पटेल / 5538	225	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण अवर प्रमंडल-4, दरभंगा।	उत्तीर्ण	
172	कुमार स्वस्तिक तुषार / 5866	229	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-05, उदेरास्थान।	उत्तीर्ण	
173	विजय कुमार / J-10067	230	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, काढ़ागोला।	उत्तीर्ण	
174	राजेन्द्र कुमार / J-9847	233	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगसराय।	उत्तीर्ण	
175	जितेन्द्र कुमार / 5884	235	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, दरियापुर।	उत्तीर्ण	
176	राहुल कुमार पोद्दार / 5809	236	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-2, घोषी।	उत्तीर्ण	
177	मनोज कुमार / J-9884	237	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिलैया नहर अवर प्रमंडल-1, वजीरगंज।	उत्तीर्ण	
178	वर्षा सिंह / 5916	238	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-4, उदेरास्थान।	उत्तीर्ण	

179	मृणाल कुमार/J-9949	239	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना।	उत्तीर्ण	
180	रामजी प्रसाद रंजन / J-6MWRD	241	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, तिलौथू, रोहतास।	उत्तीर्ण	
181	भगततेज नारायण प्रसाद/ J-10014	242	प्राक्कलन पदाधिकारी, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, औरंगाबाद।	उत्तीर्ण	
182	धीरेन्द्र कुमार/J-9742	243	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, दिल्ली दिवानगंज।	उत्तीर्ण	
183	अरविंद कुमार श्रीवास्तव/ J-8339	245	सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल, गोपालगंज।	उत्तीर्ण	
184	अनामिका आसना/5696	247	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज।	उत्तीर्ण	
185	सौरभ सुमन/5924	248	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, दुर्गावती बाँध अवर प्रमंडल-05, भीतरीबाँध।	उत्तीर्ण	
186	मन्दु कुमार सिंह	249	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा।	उत्तीर्ण	
187	दिव्यान्शु/5836	250	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, दुर्गावती बाँध अवर प्रमंडल-03, भीतरीबाँध।	उत्तीर्ण	
188	आदित्य राज/5822	255	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल, टेकारी।	उत्तीर्ण	
189	रमेश कुमार/J-10101	256	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
190	मो0 जफर कमाल/ J-10147	258	सहायक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।	उत्तीर्ण	
191	संजय कुमार/J-9772	260	सहायक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।	उत्तीर्ण	
192	शिप्रा कुमारी/5685	261	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जलमार्ग एवं निर्माण अवर प्रमंडल, चैनपुर।	उत्तीर्ण	
193	इन्द्र कुमार झा/J-9915	263	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल-2, पटना।	उत्तीर्ण	

194	यशवंत कुमार सिंह / J-10107	264	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल-3, पटना।	उत्तीर्ण	
195	श्लोक कुमार /J-9768	266	सहायक अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	उत्तीर्ण	
196	राज किशोर कुमार / J-9668	267	सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।	उत्तीर्ण	
197	निशांत कुमार सिन्हा /5856	268	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-3, रजौली।	उत्तीर्ण	
198	सौरव /5807	269	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, राघोपुर।	उत्तीर्ण	
199	राकेश कुमार रंजन / J-9816	270	प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी।	उत्तीर्ण	
200	रमन रनधीर वर्मा /5864	271	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, जामों।	उत्तीर्ण	
201	नव प्रकाश भारती /5410	272	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, महाराजगंज।	उत्तीर्ण	
202	रामानुग्रह प्रसाद /J-9818	273	सहायक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, पटना।	उत्तीर्ण	
203	नीलमणि /5911	274	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, तरवारा।	उत्तीर्ण	
204	संजीव कुमार /J-9837	276	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, बथनाहा।	उत्तीर्ण	
205	चन्दन कुमार /5896	279	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-01, मुरलीगंज।	उत्तीर्ण	
206	वंदना आनंद /5784	280	सहायक अभियंता, सारण नहर अंचल, सिवान।	उत्तीर्ण	विभागीय अधिसूचना संख्या- 944 दिनांक- 28. 02.2025 द्वारा दिनांक- 02. 03.2025 के प्रभाव से त्यागपत्र स्वीकृत।
207	राहुल कुमार /5623	281	सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-03, पटना।	उत्तीर्ण	

208	सुमित / 5561	282	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा अवर प्रमंडल, पुनपुन।	उत्तीर्ण	
209	मोना कुमारी / 5918	283	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन उच्चस्तरीय नहर अवर प्रमंडल-1, गोह।	उत्तीर्ण	
210	दिग्विजेन्द्र कुमार / J-9759	285	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर।	उत्तीर्ण	
211	ओम प्रकाश सिंह / 5871	290	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, हरसिद्धि।	उत्तीर्ण	
212	अमरेश कुमार निराला / J-10128	291	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण अवर प्रमंडल, सरैया।	उत्तीर्ण	
213	चन्द्रमणी कुमार / 5840	292	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, ढाका।	उत्तीर्ण	
214	बबलू कुमार मिश्रा / 5857	293	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन उच्चस्तरीय नहर अवर प्रमंडल, दादर।	उत्तीर्ण	
215	चन्दन कुमार / 5892	295	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, फारबिसगंज।	उत्तीर्ण	
216	सिया वर्मा / 5934	296	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, लक्ष्मीपुर।	उत्तीर्ण	
217	नितेश कुमार / 5858	297	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, जमरोढ़।	उत्तीर्ण	
218	अशोक कुमार मंडल	298	सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अवर प्रमंडल, वीरपुर (सुपौल)।	उत्तीर्ण	
219	ओम प्रकाश सिंह / J-12MWRD	299	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, गोपालगंज।	उत्तीर्ण	
220	मो0 हारिस / 5805	300	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, पीपरा।	उत्तीर्ण	
221	अमित कुमार / 03 / 300185	301	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, औरंगाबाद।	उत्तीर्ण	
222	धर्मेन्द्र कुमार / 5635	304	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, पिपरा।	उत्तीर्ण	
223	विवेक कुमार / 5859	305	सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर।	उत्तीर्ण	
224	बिपिन कुमार / 5895	306	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल, महथावां।	उत्तीर्ण	

225	विजय कुमार/J-10116	308	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, अवर प्रमंडल, बनकरवा।	उत्तीर्ण	
226	चन्द्रमणि प्रसाद/J-10061	309	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-1, देव, औरंगाबाद।	उत्तीर्ण	
227	तौसीफ रजा/5847	311	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल-2, कहलगाँव।	उत्तीर्ण	
228	जयन्ति राजन/5917	312	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, विक्रमशिला।	उत्तीर्ण	
229	रमण कुमार/5828	313	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत नहर अवर प्रमंडल, सराय।	उत्तीर्ण	
230	अनिमेष कुमार/5898	315	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर अवर प्रमंडल, त्रिवेणी।	उत्तीर्ण	
231	कृष्ण कुमार केशव/5832	316	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, मुख्य पश्चिमी नहर अवर प्रमंडल, सुरजपुरा।	उत्तीर्ण	

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सरफराज अहमद, अवर सचिव (प्रबंधन)।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचनाएं

4 अक्टूबर 2025

सं० प्र०-IV-PMU-01/2025-5565/एम०—खान एवं भूतत्व विभाग में खनिजों के उत्पादन, परिवहन, भंडारण, अवैध खनन के रोकथाम आदि के बेहतर आई०टी० प्रबंधन एवं ई-चालान निर्गमन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावकारी तरीके से सम्पादित करने के लिए बतौर सिस्टम इंटीग्रेटर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) की सेवा 12 जुलाई 2023 से ली जा रही है। वर्तमान में एन०आई०सी० द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवा रियल टाइम सर्विलान्स आधारित न हो कर मुख्यतः इनपुट आधारित है। साथ ही एन०आई०सी० द्वारा अद्यतन तकनीकों उदाहरणस्वरूप ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। एन०आई०सी० द्वारा दी जाने वाली सेवा अन्य राज्यों के सिस्टम इंटीग्रेटर्स के मुकाबले धीमी एवं बदलते खनन परिवेश के मद्देनजर पर्याप्त नहीं है। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "रिपोर्ट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन माइनिंग" जनवरी, 2025 की कंडिका-5.2.c तथा अन्य राज्यों के पहल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बिहार में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।

2. एन०आई०एस०जी० (नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट) ई-गवर्नेन्स ट्रांसफॉर्मेशन हेतु पी०पी०पी० मोड पर आधारित एक नॉट फॉर प्रोफिट संस्था है, जिसका गठन 2002 में किया गया है। एन०आई०एस०जी० के निदेशक मंडल में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पदाधिकारी शामिल हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एन०आई०एस०जी० की सेवा ली जा रही है। खनन क्षेत्र में लगातार बदलते परिदृश्य में उक्त परामर्शदातृ पी०एम०यू० के रूप में एन०आई०एस०जी० (नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट) की सेवा विभाग के लिए लाभदायक होगी।

3. इस परामर्शदातृ पी०एम०यू० में खनन मामलों के विशेषज्ञ के साथ आई०टी० विशेषज्ञ भी शामिल होंगे तथा यह पी०एम०यू० बेहतर आई०टी० प्रबंधन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर को लाने/गाइड करने हेतु मैनेजमेंट कन्सेलटेन्ट का भी कार्य करेगा। एन०आई०एस०जी० के एडवाइजरी पी०एम०यू० में सीनियर कंसल्टेंट (माइनिंग), कंसल्टेंट (आई०टी०) एवं जूनियर कंसल्टेंट शामिल होंगे। आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों की सेवा अतिरिक्त शुल्क पर ली जायेगी। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट

(पी०एम०यू०) द्वारा बेंचमार्किंग एवं बेस्ट प्रैक्टिस स्टडी, भावी रोड मैप का विकास एवं बीड प्रोसेस मैनेजमेंट तथा प्रोग्राम मैनेजमेंट सपोर्ट संबंधी सेवा प्रदान की जायेगी।

4. परामर्शदातृ पी०एम०यू० (एन०आई०एस०जी०) द्वारा वर्तमान सिस्टम इन्टीग्रेटर (एन०आई०सी०) के अबतक के किये गये कार्यों एवं टेक्नोलॉजी रोडमैप की संभावनाओं को कार्यान्वित (इम्प्लीमेंट) करने की कार्यक्षमता का भी आंकलन किया जायेगा, ताकि आवश्यकतानुसार सिस्टम इन्टीग्रेटर बदलने अथवा उसमें सुधार लाने हेतु ससमय कार्रवाई की जा सके।

5. राज्य में खनिजों के खनन, परिवहन एवं भंडारण के लिए बंदोबस्तधारी एवं आम जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर व्यापक नियंत्रण, वृहत् खनिजों के पट्टों की नीलामी के आलोक में टेक्नोलॉजी रोडमैप एवं अवसंरचना तैयार करने आदि के लिए अत्याधुनिक आई०टी० सेवा एवं प्रबंधन के लिए योग्य परामर्शदातृ संस्था की सेवा की आवश्यकता को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग में परामर्शदातृ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के रूप में एन०आई०एस०जी० (नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट) की सेवा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131 ज्ञ (छ) के तहत नामांकन के आधार पर 02 वर्षों के लिए कुल ₹2,79,51,000/- (रुपये दो करोड़ उन्चासी लाख इक्यावन हजार मात्र) एवं जी०एस०टी० शुल्क के व्यय पर लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

6. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

3 अक्टूबर 2025

सं० प्र०-IV लघु खनन (मार्गदर्शिका)-13/25-5557/एम०-वर्तमान में राज्यान्तर्गत लघु खनिजों के उचित प्रबंधन एवं पर्यावरण मानकों को पालन करते हुए सतत खनन हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) लागू है। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु खनिजों के संबंध में खनन पट्टों के लिए स्टार रेटिंग की मार्गदर्शिका उपलब्ध कराते हुए बिहार राज्य के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार मार्गदर्शिका में संशोधन करने एवं लागू करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-84 के तहत विभाग खनिजों के सतत खनन विकास, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए निदेश जारी करने हेतु सक्षम है।

लघु खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देने, पारदर्शिता बढ़ाने और अनुकरणीय प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए एक मजबूत ढाँचा है। इसको अपनाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि खनन कार्य आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दें। अतएव बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-84 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यान्तर्गत लघु खनिज के पट्टों/समानुदान के स्टार रेटिंग के संबंध में निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :-

1. लघु खनिजों के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली को पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर खनन पट्टाधारकों का मूल्यांकन कर और मान्यता देकर सतत खनन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत खनन कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- सतत खनन पद्धतियों को बढ़ावा देना :-** ऐसी खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना जो पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करें और सामाजिक-आर्थिक लाभ को बढ़ाएं।
- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना :-** खनन कार्यों में स्पष्टता और जिम्मेदारी की संस्कृति विकसित करना।
- अनुपालन को प्रोत्साहित करना :-** खनन पट्टाधारकों को कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना।
- उत्कृष्टता को मान्यता देना :-** पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासनिक आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खनन कार्यों को पुरस्कृत करना।

2. स्टार रेटिंग प्रणाली

स्टार रेटिंग प्रणाली हेतु विभाग द्वारा आवंटित पट्टा कोड को विशिष्ट पट्टा आई०डी० माना जाएगा। खनन कार्यों का मूल्यांकन पाँच स्टार रेटिंग प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा:

(क) व्यवस्थित और सतत खनन (30%) (अनुलग्नक-I)

		पत्थर के लिए	बालू के लिए
i.	परिचालन दक्षता	5%	8%
ii.	रिजेक्ट डंप प्रबंधन	3%	0%

iii.	सुरक्षित और स्थिर बेंच	5%	5%
iv.	धूल दमन के उपाय	17%	17%

(ख) पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण (25%) (अनुलग्नक-II)

- पर्यावरण मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (SPCB) (5%)
- पर्यावरण मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (MoEF) (6%)
- प्रतिपूरक वनीकरण की पूर्ति (4%)
- वृक्षारोपण उत्तरजीविता दर (10%)

(ग) श्रमिकों का स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण (15%) (अनुलग्नक-III)

- कार्मिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग (2%)
- नियमित चिकित्सा जाँच का आच्छादन (2%)
- पेयजल एवं स्वच्छता (2%)
- महिला सुविधाएँ अर्थात क्रेच, शौचालय और विश्रामगृह (2%)
- उपजीविकाजन्य रोग जाँच (2%)
- किए जा रहे कल्याणकारी उपाय (2%)
- खान से खतरों/बचाव अभियान से निपटने के लिए प्रावधान (2%)
- श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (1%)

(घ) वैधानिक अनुपालन (30%) (अनुलग्नक-IV)

		पत्थर के लिए	बालू के लिए
i.	रिटर्न समर्पण	10%	15%
ii.	उल्लंघन सुधार	5%	5%
iii.	सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति	8%	0%
iv.	पट्टा विलेख का निबंधन	2%	2%
v.	पट्टा सीमाएँ का निर्धारण	5%	8%

3. कार्यान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया

3.1 मूल्यांकन और रेटिंग

- खनन पट्टाधारक द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न स्व-मूल्यांकन टेम्पलेट में निर्धारित मापदंड के आधार पर मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रतिवर्ष जनवरी माह में समाहर्ता को समर्पित किया जायेगा।
- यदि खनन पट्टा धारक द्वारा विहित समय-सीमा के अन्दर स्व-मूल्यांकन टेम्पलेट समर्पित नहीं किया जाता है, तो समाहर्ता द्वारा खनन पट्टा का जाँच के माध्यम से मूल्यांकन कराया जायेगा।
- खनन पट्टाधारक द्वारा समर्पित स्व-मूल्यांकन का सत्यापन या नया मूल्यांकन, समाहर्ता जाँच के माध्यम से करा सकते हैं। वस्तुनिष्ठता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समाहर्ता गैर विभागीय पदाधिकारी से भी जाँच करा सकते हैं। निधि की उपलब्धता अथवा आवश्यकता के आधार पर यह जाँच बाह्य एजेंसी से संबंधित समाहर्ता अथवा निदेशक, खान द्वारा सभी/कुछ जिलों के लिये करायी जा सकेगी।
- पट्टाधारकों को मापदंडों के अनुपालन के व्यापक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

3.2 स्टार रेटिंग प्रदान करना

- खनन पट्टाधारकों को उनके मूल्यांकन स्कोर के आधार पर स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी :
=>80% से 100%: 5 स्टार
=>60% से <80%: 4 स्टार
=>50% से <60%: 3 स्टार
=>40% से <50%: 2 स्टार
=>25% से <40%: 1 स्टार
<=25% कोई रेटिंग नहीं
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने और निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार रेटिंग सार्वजनिक रूप से प्रकट की जाएगी।
- प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए रेटिंग प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

- iv. प्रत्येक खनन पट्टे के पट्टेधारक को पट्टा संचालन की तिथि से 02 वर्ष के भीतर कम से कम 3 स्टार रेटिंग हासिल करनी होगी और उसके बाद इसे साल दर साल बनाये रखना होगा।

3.3 अन्यान्य

- i. पट्टेधारकों को उच्चतर स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ii. राज्य सरकार द्वारा पट्टेधारकों को मापदंड पूरा करने में सहायता किया जाएगा।
- iii. स्टार रेटिंग किसी भी तरह से बंदोबस्तधारी/पट्टेधारी के पक्ष में कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं करेगी, जहाँ तक राज्य के अधिकार, पट्टों को समय-समय पर की जाने वाली परिसमाप्ति, निलंबन, वसूली या किसी अन्य कार्रवाई के संबंध में हो।
- iv. इस स्टार रेटिंग का प्रयोग विभाग द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

लघु खनिज पट्टों की स्टार रेटिंग के लिए स्व-मूल्यांकन टेम्पलेट

रिपोर्टिंग वर्ष (वर्ष) :-

भाग— क: सामान्य जानकारी

पट्टे का विवरण

- राज्य सरकार द्वारा आवंटित विशिष्ट पट्टा आईडी:
- पट्टा सीमा निर्देशांक (अक्षांश और देशांतर):
 - अक्षांश :
 - देशांतर :
 (आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निर्देशांक जोड़े जा सकते हैं)
- खेसरा/सर्वे नंबर:
- मौजा/अंचल:
- गाँव:
- जिला:
- राज्य:
- कुल पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर):
 - वन भूमि (हेक्टेयर) :
 - निजी भूमि (हेक्टेयर) :
 - राजस्व भूमि (हेक्टेयर) :
 - चारागाह भूमि (हेक्टेयर) :
 - अन्य (यदि कोई हो, तो बताएं) (हेक्टेयर) :
- खनिज (जो):
- पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध कुल संसाधन (खनिज-वार): (टन में)
- पट्टा अवधि (से-तक): से

पट्टेदार का विवरण

- पट्टेदार का नाम:
 - (कंपनी या साझेदारी फर्म के मामले में, कंपनी/फर्म के नाम के साथ-साथ प्रबंध निदेशक या प्रबंध साझेदार का नाम या मालिकाना फर्म के मामले में स्वामी का नाम प्रदान करें)
- पट्टेदार का प्रकार : (व्यक्ति/कंपनी/साझेदारी फर्म/अन्य)
- पता:
- मोबाइल नंबर:
- ई मेल पता:

कार्य विवरणी

- खनन का तरीका: [ओपनकास्ट/अंडरग्राउंड/ओपनकास्ट और अंडरग्राउंड/खदान]
- दाखिल करने की तिथि पर पट्टे की स्थिति: [कार्यरत/अस्थायी रूप से बंद/कार्यरत नहीं/निलंबित]

- रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या:
 - रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अस्थायी बंदी के दिनों की संख्या:
 - रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान निलंबन के दिनों की संख्या:
 - स्टार रेटिंग टेम्पलेट दाखिल करने के लिए जिम्मेदार अभिकर्ता (एजेंट)/प्रबंधक का नाम और संपर्क विवरण:
- सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुमोदन/सहमति

1. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना का विवरण।

- वैधता: से तक
- अनुमोदित मात्रा (वर्षवार):

2. प्राप्त पर्यावरणीय मंजूरी का विवरण:

- वैधता: से तक
- अनुमोदित मात्रा (वर्षवार):

3. एसपीसीबी अनुमोदन (वायु/जल) का प्राप्त विवरण:

- वैधता: से तक
- अनुमोदित मात्रा (वर्षवार):

4. प्राप्त वन मंजूरी का विवरण (यदि लागू हो):

5. क्या पट्टेदार ने सरकार से सभी आवश्यक एनओसी/प्रमाणपत्र/परमिट प्राप्त कर लिया है?

- (डीजीएमएस/ब्लास्टिंग लाईसेंस/अन्य):

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सरकारी खजाने में अंशदान

- स्वामिस्व (रॉयल्टी) भुगतान :
- नियत लगान (डेड रेंट) का भुगतान (यदि लागू हो) :
- डीएमएफ में अंशदान (रु० में) :

भाग— ख: सतत खनन

(अधिकतम अंक : 30)

मॉड्यूल— I		(पत्थर खनन पट्टा के लिये)				
व्यवस्थित और सतत खनन		(अधिकतम अंक : 30)				
1.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खनिजवार कुल उत्पादन:	स्वीकृत मात्रा (टन में)	वास्तविक (टन में)	• $\geq 50\%$ से 100% (5 अंक) • 30% और 50% के बीच (2 अंक) • $\leq 30\%$ और $> 100\%$ (0 अंक) • [स्वचालित रूप से गणना की जायेगी]	5	
2.	रिजेक्ट डंप प्रबंधन (ऊपरी मिट्टी को छोड़कर)	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार	हाँ (3 अंक) नहीं (0 अंक)		3	
3.	सुरक्षित और स्थिर बेंचों (खुले गड्ढे) या ड्राइवों (भूमिगत) का निर्माण	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)		5	
4.	धूल दमन के उपाय	क्रशर संयंत्र ढँका हुआ (पट्टा क्षेत्र के भीतर या आसपास)	हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		17	
		ढके हुए वाहनों में खनिज का परिवहन	हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		[जहाँ कोई क्रशर/कोई ड्रिलिंग नहीं होती है, वहाँ]	

		पानी का छिड़काव	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	अधिकतम 12 अंक होंगे]	
		गीली ड्रिलिंग	हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		

भाग— ख: सतत खनन
(अधिकतम अंक : 30)

मॉड्यूल- I		(बालू खनन पट्टा के लिये)				(अधिकतम अंक : 30)
व्यवस्थित और सतत खनन						
1.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खनिजवार कुल उत्पादन:	स्वीकृत मात्रा (टन में)	वास्तविक (टन में)	• $\geq 50\%$ से 100% (8 अंक) • 30% और 50% के बीच (3 अंक) • $\leq 30\%$ और $> 100\%$ (0 अंक) • [स्वचालित रूप से गणना की जायेगी]	8	
2.	सुरक्षित और स्थिर बेंचों (खुले गड्ढे) का निर्माण	स्वीकृत खनन योजना के अनुसार		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5	
3.	धूल दमन के उपाय	बालू भंडारण ढँका हुआ (पट्टा क्षेत्र के भीतर या आसपास)		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	17	
		ढके हुए वाहनों में खनिज का परिवहन		हाँ (6 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं		
		पानी का छिड़काव		हाँ (6 अंक) नहीं (0 अंक)		

मॉड्यूल- II		(सभी लघु खनिजों के लिये)			
पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण					
(अधिकतम अंक : 25)					
1.	पर्यावरणीय मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (वायु, जल, आदि)	एसपीसीबी मानदंडों के अनुसार (प्रस्तुत किया जाना है)		हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5
2.	पर्यावरणीय मापदंडों की अनुपालन रिपोर्टिंग (EC शर्त के अनुसार)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार (प्रस्तुत किया जाना है)		हाँ (6 अंक) नहीं (0 अंक)	6
3.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान अनुमोदित दस्तावेजों (EC/FC) के अनुसार किया गया कुल वृक्षारोपण/प्रतिपूरक वनरोपण	स्वीकृत मात्रा (संख्या)	वास्तविक (संख्या)	● 80–100: (4 अंक) ● >50<80% (2 अंक) ● <=50% (0 अंक) ● लागू नहीं	4

4.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान वृक्षारोपण के प्रथम वर्ष के दौरान पौधों के जीवित रहने की दर	लगाए गए पौधों की संख्या	पहले वर्ष के बाद जीवित बचे पेड़/पौधे की संख्या (% में)	70-100 % (6 अंक) >50<70% (3 अंक) <=50% (0 अंक)	6	
5.	पीने, कृषि, खनन, अन्य गतिविधियों आदि के लिये पुनर्नवीनीकृत जल का उपयोग।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है (मूलपाठ)		हाँ (4 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	4	

मॉड्यूल- III

श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण

(सभी लघु खनिज के लिये)

(अधिकतम अंक : 15)

1.	कुल कर्मचारियों/श्रमिकों का % जिन्हें डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित कार्मिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) अर्थात् हेलमेट, जूते, दस्ताने और धूल मास्क आदि प्रदान किये गए हैं।	औसत कुल रोजगार	कुल रोजगार का % जिन्हें पीपीई प्रदान किया गया।	100% (2 अंक) >50<100% (1 अंक) <=50% (0 अंक)	2	
2.	कुल रोजगार का % जिनका खान नियमावली 1955 के अनुसार आवधिक चिकित्सा परीक्षण (पीएमई) किया गया है।	औसत कुल रोजगार	कुल रोजगार का % जिसे नियमों के अनुसार पीएमई किया जाता है।	100% (2 अंक) >50<100% (1 अंक) <=50% (0 अंक)	2	
3.	सभी श्रमिकों को पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान।	विवरण प्रदान किया जाना है। फोटो अपलोड किया जाना है।		हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
4.	महिला कर्मचारियों के लिये बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान, जैसे क्रेच, शौचालय और विश्रामगृह।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है। फोटो अपलोड किया जाना है।		हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
5.	रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान खान श्रमिकों में सिलिकोसिस या अन्य उपजीविकाजन्य रोग के पाये गये मामले।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।		हाँ (0 अंक) नहीं (2 अंक)	2	
6.	सीएसआर के हिस्से के रूप में खान श्रमिकों/आसपास के क्षेत्रों के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।		हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
7.	खान खतरों/बचाव कार्य से निपटने के लिए प्रावधान।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।		हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
8.	श्रमिकों/मजदूरों/मशीन ऑपरेटरों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक छह माह में)	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।		हाँ (1 अंक) नहीं (0 अंक)	1	

मॉड्यूल- IV वैधानिक अनुपालन		(पत्थर खनन पट्टा के लिये)			
		(अधिकतम अंक : 30)			
1.	सभी रिटर्न और अंतिम निर्धारण प्रस्तुत करना।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (10 अंक) नहीं (0 अंक)	10	
2.	किसी भी सरकारी एजेंसी अर्थात् डीजीएमएस, एमओईएफ, एसपीसीबी द्वारा बताए गये सभी उल्लंघनों का सुधार	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	5	
3.	नियम (खान योजना) के अनुसार सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति अर्थात् खान प्रबंधक, फोरमैन, खनन मेट और ब्लास्टर	नाम उपलब्ध कराए जाने हैं (नियुक्ति पत्र)	सभी हाँ के लिए 8 अंक (प्रत्येक श्रेणी के लिए दो अंक)	8	
4.	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधन	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधित प्रति उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
5.	नियमानुसार पट्टा क्षेत्र में डीजीपीएस सीमा स्तंभों का निर्माण	विवरण और फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक)	5	

मॉड्यूल- IV वैधानिक अनुपालन		(बालू खनन पट्टा के लिये)			
		(अधिकतम अंक : 30)			
1.	सभी रिटर्न और अंतिम निर्धारण प्रस्तुत करना।	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (15 अंक) नहीं (0 अंक)	15	
2.	किसी भी सरकारी एजेंसी अर्थात् डीजीएमएस, एमओईएफ, एसपीसीबी द्वारा बताए गये सभी उल्लंघनों का सुधार	विवरण उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (5 अंक) नहीं (0 अंक) लागू नहीं	5	
3.	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधन	सीमा निर्देशांक के साथ पट्टा विलेख का निबंधित प्रति उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (2 अंक) नहीं (0 अंक)	2	
4.	नियमानुसार पट्टा क्षेत्र में डीजीपीएस सीमा स्तंभों का निर्माण	विवरण और फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाना है।	हाँ (8 अंक) नहीं (0 अंक)	8	

समग्र प्रदर्शन और स्टार रेटिंग

	मॉड्यूल का नाम	सभी मॉड्यूल में लागू अधिकतम अंकों का योग (क)	सभी मॉड्यूल में प्राप्त अंकों का योग (ख)	प्रतिशत (ख/क)*100
मॉड्यूल I	व्यवस्थित एवं सतत खनन	30		
मॉड्यूल II	पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण	25		
मॉड्यूल III	श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण	15		
मॉड्यूल IV	वैधानिक अनुपालन	30		
कुल		100		
प्राप्त %				
स्टार रेटिंग				

स्टार रेटिंग मानदंड

प्राप्त प्रतिशत	मानदंड
=>80% से 100%:	5 स्टार
=>60% से <80%:	4 स्टार
=>50% से <60%:	3 स्टार
=>40% से <50%:	2 स्टार
=>25% से <40%:	1 स्टार
<=25%	कोई रेटिंग नहीं

प्रमाणपत्र

मैं, ... (नाम) (पदनाम) पट्टेदार की ओर से इस दस्तावेज को भरने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रदान की गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और अभिलेखों पर आधारित है।

- तारीख:
- स्थान:

अभिकर्ता (एजेंट)/प्रबंधक का नाम

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

**मृदु विभाग
(आरक्षी शाखा)**

अधिसूचनाएं

5 अक्टूबर 2025

सं० 1/पी०1-03/2025 गृ०आ०-12703—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री पुष्कर आनंद, भा०पु०से० (2009),	पुलिस अधीक्षक(बी०), विशेष शाखा, बिहार, पटना	समादेष्टा, बि०वि०स०पु०-09, जमालपुर
2.	श्री आदित्य कुमार, भा०पु०से० (2011)	पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	पुलिस अधीक्षक, ए०एन०टी०एफ०, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना
3.	डॉ० इनामूल हक मेंगनू, भा०पु०से० (2012),	पुलिस अधीक्षक, अरवल	पुलिस अधीक्षक, रेल, पटना
4.	श्री अमृतेन्दु शेखर ठाकुर, भा०पु०से० (2017)	पुलिस अधीक्षक, रेल, पटना	पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय चयन परषद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना
5.	श्री मनीष कुमार, भा०पु०से० (2017)	पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय चयन परषद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक, अरवल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० एस० रिज़वानी, उप सचिव।

3 अक्टूबर 2025

सं० 1/पी०1-01/2025 गृ०आ०-12683—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री हिमांशु शंकर त्रिवेदी, भा०पु०से० (2010)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-11, जमुई	पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेशक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना।
2.	श्री अशोक कुमार सिंह, भा०पु०से० (2012)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (महिला), सासाराम	पुलिस अधीक्षक, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना।
3.	श्री रविश कुमार, भा०पु०से० (2018)	प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर	पुलिस अधीक्षक (कार्मिक-2), बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० एस० रिज़वानी, उप सचिव।

7 अगस्त 2025

सं० 1/पी०1-01/2025 गृ०आ०-10257—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	मो० मोहिबुल्लाह अंसारी, भा०पु०से० (2021)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, नगर, पटना	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-11, विधि व्यवस्था, पटना
2.	सुश्री शैलजा, भा०पु०से० (2022)	सहायक पुलिस अधीक्षक, वैशाली	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, हिलसा, नालंदा
3.	श्री संकेत कुमार, भा०पु०से० (2022)	सहायक पुलिस अधीक्षक, सारण	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास
4.	सुश्री गरिमा, भा०पु०से० (2022)	सहायक पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर
5.	सुश्री साक्षी कुमारी, भा०पु०से० (2022)	सहायक पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बलिया, बेगूसराय
6.	सुश्री कोमल मीणा, भा०पु०से० (2023)	सहायक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, मसौढ़ी, पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एम० एस० रिज़वानी, उप सचिव।

2 अगस्त 2025

सं० 1/पी०1-01/2025 गृ०आ०-10064—भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है/अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री जितेन्द्र कुमार, भा०पु०से० (1993)	अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना (पुलिस महानिदेशक कोटि में नव प्रोन्नत)	अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना

2.	श्रीमती अनुसूईया रणसिंह साहू, भा0पु0से0 (2006)	पुलिस महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना	पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, बिहार, पटना
3.	श्री पंकज कुमार राज, भा0पु0से0 (2006)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना (नव प्रोन्त पुलिस महानिरीक्षक)	पुलिस महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना
4.	श्री राजीव मिश्रा, भा0पु0से0 (2010)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, (मध निषेध), बिहार, पटना।	पुलिस उप-महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना।
5.	श्री राशिद जमौं, भा0पु0से0 (2010)	पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना	अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, (मध निषेध), बिहार, पटना।
6.	श्री आशीष भारती, भा0पु0से0 (2011)	पुलिस उप-महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय	अतिरिक्त प्रभार— पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (उत्तरी मंडल), मुजफ्फरपुर
7.	श्री मिथिलेश कुमार, भा0पु0से0 (2012)	पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	पुलिस अधीक्षक (ई0आर0एस0एस0) बिहार, पटना
8.	श्री कान्तेश कुमार मिश्रा, भा0पु0से0 (2015)	पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	पुलिस अधीक्षक (ई0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
9.	श्री विद्या सागर, भा0पु0से0 (2016)	पुलिस अधीक्षक, ई0आर0एस0एस0, बिहार, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय
10.	श्री मनोज कुमार, भा0पु0से0 (2018)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
11.	श्रीमती ममता कल्याणी बि0पु0से0 (45वीं)-2005	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-10, पटना अतिरिक्त प्रभार— पुलिस अधीक्षक (ई0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक (ई0) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार समाप्त

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश रंजन, उप सचिव।

11 जुलाई 2025

सं0 1/पी01-01/2025 गृ0आ0-8862—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री मिथिलेश कुमार, भा0पु0से0 (2012)	समादेष्टा, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, बगहा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना।

2.	श्री शैशव यादव, भा0पु0से0 (2016)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना	समादेष्टा-सह-प्राचार्य, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव ।
3.	श्री वैभव शर्मा, भा0पु0से0 (2018)	पुलिस अधीक्षक, कटिहार	पुलिस अधीक्षक, अनुसंधान नियंत्रण कक्ष, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना ।
4.	श्रीमती नवजोत सिमी, भा0पु0से0 (2018)	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-19, बेगूसराय	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-19, बेगूसराय ।
5.	श्री मनोज कुमार, भा0पु0से0 (2018)	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना	समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-8, बेगूसराय ।
6.	श्री महेन्द्र कुमार बसन्ती, भा0पु0से0 (2018)	समादेष्टा-सह-प्राचार्य, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव	समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना ।
7.	श्री संजय कुमार, भा0पु0से0 (2018)	पुलिस अधीक्षक, विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा, बिहार, पटना	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सारण ।
8.	श्री शिखर चौधरी, भा0पु0से0 (2020)	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), सारण (अपने ही वेतनमान में)	पुलिस अधीक्षक, कटिहार । (अपने ही वेतनमान में)
9.	मो0 मोहिबुल्लाह अंसारी, भा0पु0से0 (2021)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, मोतिहारी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, नगर, पटना ।
10.	श्री अतुलेश झा, भा0पु0से0 (2022)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, पटना सिटी, पटना	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, डिहरी, रोहतास ।
11.	श्री शिवम धाकड़, भा0पु0से0 (2022)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, सदर मोतिहारी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, दानापुर, पटना ।
12.	श्रीमती दिव्यांजली जायसवाल, भा0पु0से0 (2022)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रामनगर, बगहा	सहायक पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एम0 एस0 रिज़वानी, उप सचिव ।

सं० 10/अग्नि०से०-01-47/2024गृ०आ०-12697

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव

सेवामें,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।

पटना, दिनांक 4 अक्टूबर 2025

विषय :- बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के नियम-4 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित, वर्दीधारी) के विभिन्न कोटि के कुल-2075 (दो हजार पचहत्तर) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 4 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित, वर्दीधारी) के विभिन्न कोटि के कुल-2075 (दो हजार पचहत्तर) अतिरिक्त पदों का सृजन निम्न रूप से किया जाता है:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतन स्तर	आवश्यक कुल पदों की संख्या	पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या	नवसृजन हेतु स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अग्निशामालय उपाधिकारी (सब-ऑफिसर)	वेतन स्तर-5	734	106	314
2.	प्रधान अग्निक	वेतन स्तर-4	1122	292	623
3.	अग्निक	वेतन स्तर-3	4727	3210	1138
		कुल पद	6583	3608	2075

3. उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप कुल ₹112,38,35,911 (एक सौ बारह करोड़ अड़तीस लाख पैंतीस हजार नौ सौ ग्यारह रु०) मात्र वार्षिक व्यय अनुमानित है।

4. उपर्युक्त पदों का सृजन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत माँग संख्या-22, बजट मुख्य शीर्ष-2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण, उपशीर्ष-0001 अग्नि रक्षा सेवा, विपत्र कोड 22-2070.00.108.0001 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशालय स्तर पर निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला अग्निशमन पदाधिकारी होंगे और राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

6. पद सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10322/वि०, दिनांक-24.09.2025 द्वारा प्राप्त है।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-74 के रूप में प्राप्त है।

8. स्वीकृतादेश पर संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

मनोज कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

सं० 10/पद सू०-04-02/2025 गृ०आ०—12077

**गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)**

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा:—

वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—17.09.2025

विषय:—

मादक पदार्थों एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से तथा मद्यनिषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से पृथक कर संयुक्त रूप से “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” का गठन करने तथा इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 88 (अठ्ठासी) नये पदों का सृजन, विभिन्न कोटि के 12(बारह) पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन एवं पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 229 (दो सौ उनतीस) पदों को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:— स्वीकृत।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या—I-12023/02/2017-NCB-II(Vol-I), दिनांक—25.03.2022 द्वारा NCORD (Narco Coordination Centre) तंत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में गृह विभाग(आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—2177 दिनांक—05.03.2020 को संशोधित करते हुए, बिहार राज्य में पूर्व से गठित बहुविषयक समन्वय समिति— सह—राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं एन्टी—नारकोटिक्स टास्क फोर्स को गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—जे०/ डी०ई०मिस०—1003/2000—6522, दिनांक—24.06.2022 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है। इस अधिसूचना में एन्टी—नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की संरचना में परिवर्तन करते हुए, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को इस टास्क फोर्स के नेतृत्व का कार्य दिया गया है।

3. वैश्विक स्तर के साथ भारत एवं बिहार राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों व मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित अपराधों की संख्या तथा इसमें संगठित गिरोहों की सक्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन अपराधों से संबंधित नित्य नए आयाम प्रकाश में आये हैं। मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुरूप ऐसे अपराधों में कार्रवाई अत्यंत ही प्रक्रियात्मक है। इन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हेतु आसूचना एवं सूचना संकलन, तकनीकी अनुश्रवण, अभियान, आदि हेतु समर्पित संसाधन व क्षमतावर्धन आवश्यक है। इन अपराधों से निपटने एवं एन्टी नारकोटिक्स कार्रवाई हेतु संप्रति राज्य पुलिस के संगठनात्मक संरचना में समानुपातिक मानव—बल एवं तकनीकी संसाधनों की कमी अभिलक्षित होती है। आवश्यक संसाधनों के अभाव में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित अपराधों एवं अन्य विषयों में गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है और न ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देशित किये गये, विशेषीकृत दायित्वों का निर्वहन गुणात्मक रूप से हो पा रहा है।

4. वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के अंतर्गत ही नारकोटिक्स शाखा एवं एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कार्यरत है। यह शाखा एवं टास्क फोर्स बिहार के कई महत्वपूर्ण एन०डी०पी०एस० काण्डों का उद्भेदन का कार्य करती है। साथ ही बिहार राज्य में इस विषय से संबंधित जागरूकता, राज्य—स्तरीय एवं केन्द्र—स्तरीय अन्य इकाईयों के साथ समन्वय, 1933 मानस हेल्प लाइन के कार्यों के निष्पादन का कार्य, नारकोटिक्स से संबंधित पोर्टल के कार्यों का निष्पादन, रिकॉर्ड संधारण, आसूचना आधारित अभियानों का संचालन, जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।

5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में संचालित शीर्ष स्तरीय NCORD समिति के तंत्र एवं इस संबंध में भारत सरकार की नोडल इकाई, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित मामलों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं एवं निर्देश निर्गत किये गये हैं। इनमें से अधिकांश निर्णयों एवं निर्देशों का अनुपालन राज्य में संबंधित राज्य पुलिस के द्वारा किया जाना अपेक्षित है। संबंधित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से बिहार पुलिस संगठन में समर्पित(Dedicated) रूप से इन कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बल एवं संसाधनों का गुणात्मक विस्तार आवश्यक है।

6. उल्लेखनीय है कि “स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों” तथा “शराब व मादक द्रव्यों” के अवैध कारोबार, तस्करी, भण्डारण, निर्माण/उत्पादन में शामिल अपराधी एवं संगठित आपराधिक गिरोह या तो एक ही है या इनमें परस्पर

ताल-मेल एवं सहयोग रहता है। स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों तथा शराब एवं मादक द्रव्यों से संबंधित अवैध गतिविधियाँ तथा कारोबार अधिकांश रूप से एक-दूसरे के अनुपूरक हैं। अतः “स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों” तथा “शराब एवं मादक द्रव्यों” से संबंधित मामलों व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु, इन दोनों श्रेणियों के अपराधों के विरुद्ध सम्यक् एवं समेकित रूप से संस्थागत प्रतिक्रिया (Institutional Response) अति आवश्यक है।

7. बिहार राज्य में जिला स्तर/अनुमण्डल स्तर/अंचल स्तर पर वर्तमान में मद्यनिषेध एवं मादक द्रव्यों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु कुल-218 एन्टी लीकर टास्क फोर्स (ए0एल0टी0 एफ0) कार्यरत है। इसी प्रकार 5वीं शीर्ष स्तरीय NCORD समिति की बैठक में प्राप्त निर्देशों का क्रियान्वयन करने हेतु, पूर्व में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जिला-स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के गठन एवं इसकी संरचना तथा कार्यों के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किया जा सकेगा।

8. (I) बिहार राज्य में “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” के अधीन राज्य स्तरीय मद्यनिषेध एवं नारकोटिक्स थाना का सृजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-2(यू) में वर्णित उपबंध के आलोक में अधिसूचित किया जाना है। राज्यस्तरीय यह थाना मद्यनिषेध, मादक द्रव्यों, स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों तथा सभी प्रकार के नारकोटिक्स ड्रग्स से संबंधित मामलों के लिए विशेषीकृत थाना होगा, जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(II) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) को जिलों में मद्यनिषेध, मादक द्रव्यों, स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थों एवं सभी प्रकार के नारकोटिक्स ड्रग्स से संबंधित दर्ज कांडों का अनुसंधान ग्रहण करने की स्वतंत्र शक्ति होगी। अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना और पुलिस महानिदेशक, बिहार उपरोक्त मामलों से संबंधित दर्ज कांडों को अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) को अनुसंधान ग्रहण करने का आदेश निर्गत कर सकेंगे।

(III) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) को राज्य-स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में एवं इससे संबद्ध NCORD सचिवालय के नोडल पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

9. (I) उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार में कार्यरत नारकोटिक्स ड्रग्स शाखा एवं टास्क फोर्स से संबंधित क्षेत्राधिकार, विषयक कार्यों एवं दायित्वों को आर्थिक अपराध इकाई से और मद्यनिषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से पृथक करते हुए, “स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों” तथा “शराब एवं मादक द्रव्यों” से संबंधित मामलों व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार के नियंत्रणाधीन अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में स्वतंत्र रूप से “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” का गठन करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित वेतन स्तर में निम्नांकित पदों को सृजित किया जाता है :-

पद प्रकृति	क्र0स0	पदनाम	सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतन स्तर
1	2	3	4	5
(क)सृजित किये गये कुल नये-88 पद	1.	पुलिस उप-महानिरीक्षक (मद्यनिषेध एवं ए0एन0टी0एफ0)	01	15
	2.	पुलिस अधीक्षक (ए0एन0टी0एफ0)	01	12
	3.	अपर पुलिस अधीक्षक (ए0एन0टी0एफ0)	01	12
	4.	पुलिस उपाधीक्षक	02	9
	5.	पुलिस निरीक्षक	02	7
	6.	पुलिस अवर निरीक्षक	04	6
	7.	आशु अवर निरीक्षक	02	6
	8.	सहायक अवर निरीक्षक	20	5
	9.	आशु सहायक अवर निरीक्षक	02	5

	10.	सिपाही	30	3
	11.	कम्प्यूटर संचालक सिपाही	04	3
	12.	चालक हवलदार	02	4
	13.	चालक सिपाही	10	3
	14.	प्रधान लिपिक	01	6
	15.	उच्च वर्गीय लिपिक	02	4
	16.	निम्न वर्गीय लिपिक	04	2
(ख)संविदा के आधार पर नियोजन वाले कुल 12 पद	1.	विधि पदाधिकारी	2	—
	2.	फॉरेंसिक अकाउंटेंट/ऑडिटर	1	—
	3.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	9	—
		कुल	100	—

(II) मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, के गठन हेतु समूह 'क' में अंकित 88(अठासी) पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रुपये 6,28,01,420(छः करोड़ अठाईस लाख एक हजार चार सौ बीस) मात्र होगा। यह राशि बजट शीर्ष 2055 उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 101, उप शीर्ष 0007 तथा विपत्र कोड 22-2055001010007 से विकलनीय होगी।

(III) समूह 'ख' में अंकित 12(बारह) पदों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जायेगा।

10. वर्तमान में अपराध अनुसंधान विभाग (मद्यनिषेध इकाई), बिहार में निम्नांकित पद सृजित है, जिसे "मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" में हस्तांतरित किया जाता है:-

क्र०स०	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक(मद्यनिषेध)	01
2.	पुलिस अधीक्षक(मद्यनिषेध)	01
3.	अपर पुलिस अधीक्षक(अभियान)	01
4.	वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मद्यनिषेध)	02
5.	पुलिस उपाधीक्षक	12
6.	पुलिस निरीक्षक	46
7.	पुलिस अवर निरीक्षक	46
8.	निजी सहायक	01
9.	आशु अवर निरीक्षक	04
10.	आशु सहायक अवर निरीक्षक	02
11.	सिपाही	91
12.	कम्प्यूटर संचालक सिपाही	10
13.	चालक हवलदार	02
14.	चालक सिपाही	10
	कुल	229

10. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

12. उक्त पर संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह, अवर सचिव।

मादक पदार्थ एवं ड्रग्स से संबंधित मामलों के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से तथा मद्यनिषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से पृथक कर संयुक्त रूप से "मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" के संचालन हेतु निम्नलिखित कुल 88 पदों की अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी:-

क्र० सं०	पदनाम	कुल पद	पे० लेबल	मूल वेतन	महंगाई भत्ता 55%	मकान किराया भत्ता 20%	चिकित्सा भत्ता
A	B	C	D	E	F	G	H
1	पुलिस उप-महानिरीक्षक (मद्यनिषेध एवं ए०एन०टी०एफ)	1	15	182200	100210	36440	0
2	पुलिस अधीक्षक (ए०एन०टी०एफ)	1	12	78800	43340	15760	0
3	अपर पुलिस अधीक्षक (ए०एन०टी०एफ)	1	12	78800	43340	15760	0
4	पुलिस उपाधीक्षक	2	9	53100	29205	10620	1000
5	पुलिस निरीक्षक	2	7	44900	24695	8980	1000
6	पुलिस अवर निरीक्षक	4	6	35400	19470	7080	1000
7	आशु अवर निरीक्षक	2	6	35400	19470	7080	1000
8	सहायक अवर निरीक्षक	20	5	29200	16060	5840	1000
9	आशु सहायक अवर निरीक्षक	2	5	29200	16060	5840	1000
10	सिपाही	30	3	21700	11935	4340	1000
11	कम्प्यूटर संचालक सिपाही	4	3	21700	11935	4340	1000
12	चालक हवलदार	2	4	25500	14025	5100	1000
13	चालक सिपाही	10	3	21700	11935	4340	1000
14	प्रधान लिपिक	1	6	35400	19470	7080	1000
15	उच्च वर्गीय लिपिक	2	4	21700	11935	4340	1000
16	निम्न वर्गीय लिपिक	4	2	19900	10945	3980	1000
कुल योग		88		734600	404030	146920	13000
			कुल राशि-6,28,01,420 (छः करोड़ अठाईस लाख एक हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र।				

राशन भत्ता	शहरी परिवहन भत्ता	चालक भत्ता	मोटर भत्ता	01 माह का वेतन	12 माह (एक वर्ष) का वेतन	13वें माह का वेतन	वर्दी भत्ता (वार्षिक)	कुल पदों पर वार्षिक व्यय(रुपये में)
I	J	K	L	M	N	O	P	Q
0	0	0	0	318850	3826200	0	0	3826200
0	0	0	0	137900	1654800	0	0	1654800
0	0	0	0	137900	1654800	0	0	1654800
0	0	0	0	187850	2254200	0	0	2254200
3000	4650	0	0	174450	2093400	139190	0	2232590
3000	2325	0	0	273100	3277200	219480	0	3496680
3000	2325	0	0	136550	1638600	109740	0	1748340

3000	2325	0	0	1148500	13782000	905200	0	14687200
3000	2325	0	0	114850	1378200	90520	0	1468720
3000	2325	0	0	1329000	15948000	1009050	0	16957050
3000	2325	0	0	177200	2126400	134540	0	2260940
3000	2325	0	0	101900	1222800	79050	0	1301850
3000	2325	0	0	443000	5316000	336350	0	5652350
0	2325	0	0	65275	783300	0	0	783300
0	2325	0	0	82600	991200	0	0	991200
0	2325	0	0	152600	1831200	0	0	1831200
27000	30225	0	0	4981525	59778300	3023120	0	62801420
कुल राशि—6,28,01,420 (छः करोड़ अठाईस लाख एक हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र।								

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

7 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०—13—01/2024 सा०प्र० 18944—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधुबनी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं आगामी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला दंडाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-3671 दिनांक 24.09.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	दुर्गा पूजा त्योहार, 2025 के अवसर पर एवं अगले एक वर्ष के लिए	विधि व्यवस्था संधारण हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधुबनी

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

8 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०—13—03/2024 सा०प्र० 19139—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को

उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधेपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक / कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-43 दिनांक 03.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधेपुरा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

9 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-02/2025 सा०प्र० 19179—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को कटिहार जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक-62 दिनांक 03.10.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	विधान सभा चुनाव अवधि तक के लिए	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	कटिहार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

9 अक्टूबर 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2024 सा०प्र० 19178—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को समस्तीपुर

जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-115 दिनांक 29.09.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	समस्तीपुर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

अधिसूचना

07 अक्टूबर 2025

सं० म०/बंदोबस्ती-09/2021-3868/मत्स्य-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन जलकरों की बंदोबस्ती बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 में निहित प्रावधानों के तहत जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंध समिति के कार्यकाल अवधि तक जलकरों की अल्पकालीन बंदोबस्ती करने का प्रावधान है। जिला मत्स्य कार्यालय (मधुबनी, गया जी) से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हो रहा है कि वर्णित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंध समिति का कार्यकाल माह अक्टूबर, 2025 से जनवरी, 2026 तक समाप्त हो रही है, जबकि प्रखंडों में बंदोबस्त जलकरों की बंदोबस्ती अवधि 30 जून, 2025 को समाप्त हो गई है, इसलिए नयी बंदोबस्ती माह मार्च, 2026 से ही क्रियान्वयन किया जाना है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, यथा संशोधित 2018 की धारा 5 में परंतु जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधानित है कि "परन्तु नई बंदोबस्ती की अवधि, प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि तक सीमित रहेगी"। वर्णित स्थिति में इन समितियों के साथ वर्ष 2025-2026 में जलकरों की नई बंदोबस्ती करने में वैधानिक कठिनाई है।

विभागाधीन जलकरों की बंदोबस्ती मछुआरों के जीविकोपार्जन एवं राजस्व हित के मद्देनजर उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण हेतु बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006, की धारा 19 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल लघुकालीन वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान करते हुए "वर्ष 2025-2026 में जिन समितियों के प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उन समितियों के साथ बंदोबस्त जलकरों की बंदोबस्ती अवधि का विस्तार एक वर्ष अर्थात् 01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तथा मत्स्य-सह-मखाना जलकरों की बंदोबस्ती अवधि का विस्तार एक वर्ष अर्थात् 01 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक की जाए।" इससे समितियों के बीच आपसी विवाद को कम किया जा सकेगा। इस बीच निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा निर्वाचन के उपरान्त प्रबंध समिति का विधिवत् गठन किया जा सकेगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्ताव है कि बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 19 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025-26 के प्रभाव से पशु एवं मत्स्य संसाधन(मत्स्य) विभाग के अधीन जलकरों की बंदोबस्ती के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न आदेश हैं :-

1. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 के प्रावधानों के अधीन पूर्व बंदोबस्तदार मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ बंदोबस्त जलकरों की बंदोबस्ती अवधि का विस्तार एक वर्ष अर्थात् 01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तथा मत्स्य-सह-मखाना बंदोबस्त जलकरों की बंदोबस्ती अवधि का विस्तार एक वर्ष अर्थात् 01 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक की जाती है।

2. सीमित एवं खुली डाक से बंदोबस्त जलकरों पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी।

3. अधिनियम की धारा 4 के अधीन पूर्व से निर्धारित सुरक्षित जमा में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर राजस्व की वसूली बन्दोबस्तदार समिति से की जाएगी तथा सीमित डाक/खुली डाक के पट्टेदार से बन्दोबस्ती की राशि में 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर राजस्व वसूली की जाएगी।

4. प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का अगर कोई राजस्व बकाया हो, तो बकाया राशि एक मुश्त खाता के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

5. यह सुविधा उन्हीं समिति/पट्टेदार पर लागू होगी, जिनके पास जलकरों की बन्दोबस्तीसे संबंधित कोई राजस्व बकाया न हो।

6. विभागीय पत्रांक 528 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार पूर्व सदस्य पट्टेदार के ही साथ अवधि विस्तार समिति के द्वारा की जाएगी। अपरिहार्य कारणों से यदि परिवर्तन अपेक्षित हो, तो अधिनियम की धारा 7 (ii) के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त ही परिवर्तन किया जा सकेगा।

7. उपर्युक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2025-2026 प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के मामलों में लागू होगा।

8. उपर्युक्त शर्तों को अगर पूर्व के बंदोबस्तदार अस्वीकार करें, तो उनकी बंदोबस्ती रद्द कर अधिनियम के प्रावधानानुसार एक वर्ष के लिए नयी बंदोबस्ती की जाएगी।

9. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।

10. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

उपर्युक्त आदेश बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006, यथासंशोधित 2007, 2010 एवं 2018 की सुसंगत धाराओं के आलोक में बंदोबस्ती की कार्यवाई सुनिश्चित की जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मुकेश कुमार "मुकुल", उप सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सं० 04/वन्यप्राणी-14/2012(खंड)—5371/प०व०ज०प०

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 4 अक्टूबर 2025

विषय :-राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र के सुचारु रूप से संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 45 पदों के सृजन के संबंध में।

आदेश :-स्वीकृत

महाशय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक, तकनीकी एवं अन्य कुल 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति/नियुक्ति का स्रोत
1	निदेशक	01	ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक 'जी' स्तर के पदाधिकारी/ विशेषज्ञ अथवा भारतीय वन सेवा संवर्ग (पे लेवल-14) के पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।
2	असिस्टेंट प्रोफेसर	02	संविदा/सीमित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (पे लेवल-10) के आधार पर सेवा ली जायेगी। संविदा की स्थिति में मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
3	सहायक निदेशक	01	संविदा/सीमित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति (पे लेवल-9) के आधार पर सेवा ली जायेगी। संविदा की स्थिति में मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा

			किया जायेगा।
4	टेक्निकल असिस्टेंट	02	संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त की जायेगी। मानदेय का निर्धारण विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
5	लेखा पदाधिकारी/ वित्तीय प्रबंधक	01	तथैव
6	उच्च वर्गीय लिपिक	01	तथैव
7	निम्नवर्गीय लिपिक	01	तथैव
8	चर्मपूरक (Jr. Taxidermist)	01	तथैव
9	स्टोर सहायक—सह— क्यूरेटर	01	तथैव
10	प्रयोगशाला तकनीकी सहायक	04	तथैव
11	मोटर बोट चालक	03	तथैव
12	वाहन चालक	02	तथैव
13	पुस्तकालय सहायक	01	तथैव
14	कार्यालय परिचारी/ एम०टी०एस०	05	तथैव
15	कॉन्फ्रेंस हॉल अटेंडेंट	02	तथैव
16	सर्वे वेसेल टीम	04	तथैव
17	केयरटेकर (बोटगार्ड)	03	तथैव
18	केयरटेकर (गार्ड)	03	तथैव
19	प्रयोगशाला अटेंडेंट	03	तथैव
20	पुस्तकालय अटेंडेंट	01	तथैव
21	इलेक्ट्रीशियन	01	तथैव
22	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	02	तथैव
कुल		45	

- राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना के सृजित पदों का औचित्य एवं कर्तव्य/दायित्व परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।
- उक्त राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप-मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष-110 वन्यजीव परिरक्षण, उपशीर्ष-0122-डॉल्फिन रिसर्च सेन्टर, मांग सं०-19 विपत्र कोड-19-2406021100122, विषय शीर्ष-0122.31.04 सहायक अनुदान-वेतन, 0122.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण तथा 0122.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन से होगा।
- उपरोक्त पद सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।
विश्वासभाजन,
आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

अनुलग्नक-1

सृजित पदों का कर्तव्य एवं दायित्व

1. निदेशक (Director), पद की संख्या-01

- i. राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र जो एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है, जिसे चलाने के लिए निदेशक का कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है।
- ii. निदेशक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिचालन का निर्णय लेते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र अपने उद्देश्यों को पूरा करे। केंद्र निदेशक का काम कर्मचारियों के हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण कार्य होता है।
- iii. निदेशक प्रशासनिक, वैज्ञानिक गतिविधियों एवं अनुशासनात्मक कार्यवाई के संबंध में केंद्र का प्रभारी होंगे।
- iv. राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के समूह (शासी परिषद/समिति) की देखरेख, मार्गदर्शन और प्रबंधन करना तथा अन्य हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखना उनके प्रमुख कार्यों में एक होगा।
- v. निदेशक के द्वारा केंद्र की रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन किया जाएगा।
- vi. निदेशक रणनीतिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे तथा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे।
- vii. निदेशक केंद्र के किसी भी बैठक/नियुक्ति/कार्यक्रम में सदस्य-सचिव की भूमिका में रहेंगे।
- viii. केंद्र के अनुशासनिक प्रमुख होंगे।
- ix. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य शासी परिषद/समिति के निर्देशानुसार करेंगे।

2. असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor), पद की संख्या-02

- i. अनुसंधान (Research)
 - मछलियों, सरीसृपों (reptiles), उभयचरों (amphibians), और अन्य स्तनधारियों (mammals) की जैव विविधता पर अनुसंधान करना।
 - विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या, प्रवास, प्रजनन, और जीवनचक्र से संबंधित डेटा एकत्रित करना।
 - पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के कामकाज को समझने हेतु दीर्घकालिक अध्ययन।
- ii. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment – EIA)
 - बांध, सड़क, खनन आदि विकास परियोजनाओं के पारिस्थितिक प्रभाव का मूल्यांकन।
 - सुझाव देना कि कैसे जैव विविधता को बचाते हुए विकास कार्य किए जाएं।
- iii. प्रजातियों के संरक्षण (Species Conservation)
 - संकटग्रस्त (endangered) और विलुप्तप्राय (threatened) प्रजातियों की पहचान करना।
 - संरक्षण योजनाएं बनाना और कार्यान्वयन करना, जैसे प्रजनन कार्यक्रम, आवास पुनर्स्थापन (habitat restoration) आदि।
- iv. नीति निर्माण और परामर्श (Policy & Advisory Role)
 - सरकार को वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीति निर्माण में वैज्ञानिक सलाह देना।
 - रिपोर्ट और डेटा के आधार पर नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन देना।
- v. फील्ड सर्वे और निगरानी (Field Survey & Monitoring)
 - विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जीव-जंतुओं की उपस्थिति और स्थिति का फील्ड सर्वे करना।
 - कैमरा ट्रैपिंग, GPS ट्रैकिंग, मछली पकड़ने की तकनीक आदि के माध्यम से डेटा एकत्र करना।
- vi. सामुदायिक जागरूकता और प्रशिक्षण (Community Awareness & Training)
 - स्थानीय समुदायों और छात्रों को जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
 - अन्य कर्मचारियों, वनकर्मियों या NGO कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
- vii. डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन (Data Analysis & Report Writing)
 - एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना और वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना।
 - जर्नल्स में शोधपत्र प्रकाशित करना।

3. सहायक निदेशक (Assistant Director), पद की संख्या-01

- i. इनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नियमित निदेशक को सहयोग करना।
 - ii. निदेशक की अनुपस्थिति में वे केंद्र के दैनंदिनी कार्यों को देखेंगे।
 - iii. वे किसी भी तरह के प्रशासनिक आदेश निर्गत नहीं करेंगे।
 - iv. हितधारकों की सर्वोत्तम हितों में कार्य करना उनका एक नैतिक कर्तव्य होगा और वे प्रबंधन टीम को रणनीतिक मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - v. सभी तरह की बैठक की जिम्मेवारी उनपर होगी। निदेशक के सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
4. **टेक्निकल असिस्टेंट (Technical Assistant), पद की संख्या-02**
Scientist-B (Acoustic & Migration) की डॉल्फिन शोध केंद्र (Dolphin Research Centre) में भूमिका मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में होगी:
- i. ध्वनिक (Acoustic) अध्ययन:
 - डॉल्फिन की आवाजों (clicks, whistles, calls) को रिकॉर्ड और विश्लेषण करना।
 - अंडरवाटर साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम जैसे हाइड्रोफोन का उपयोग करके ध्वनिक डेटा इकट्ठा करना।
 - डॉल्फिन की प्रजातियों की पहचान उनके ध्वनि पैटर्न से करना।
 - शोर प्रदूषण (noise pollution) का डॉल्फिन पर प्रभाव समझना।
 - ii. प्रवासन (Migration) पर निगरानी:
 - डॉल्फिन की मौसमी और स्थानिक गतिविधियों पर अध्ययन करना।
 - GPS टैगिंग और सैटेलाइट ट्रैकिंग का उपयोग करके डॉल्फिन की यात्रा मार्गों (migration routes) को समझना।
 - डाटा के आधार पर प्रवास संबंधित व्यवहारों जैसे प्रजनन, भोजन और आराम के क्षेत्रों की पहचान करना।
 - iii. संरक्षण में सहयोग:
 - डाटा एनालिसिस के आधार पर डॉल्फिन संरक्षण के लिए नीतियाँ बनाने में मदद करना।
 - संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित करना।
 - iv. अन्य तकनीकी जिम्मेदारियाँ:
 - अनुसंधान प्रोजेक्ट डिजाइन करना और फील्ड स्टडी को लागू करना।
 - रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर तैयार करना।
 - अन्य वैज्ञानिकों और अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय करना।
 - v. सामुदायिक और नीति-निर्माण सहयोग:
 - स्थानीय मछुआरों और समुदायों को डॉल्फिन संरक्षण में शामिल करना।
5. **लेखा पदाधिकारी (Accounts Officer), पद की संख्या-01**
- i. केंद्र के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान एवं अन्य खर्चों का लेखा जोखा रखना।
 - ii. केंद्र का प्रति वर्ष वार्षिक बजट बनाना तथा गोवर्निंग काउन्सिल तथा समिति में प्रस्तुतीकरण के लिए मसौदा तैयार करना।
 - iii. लेखा से संबंधित सभी कार्य को संपादित करना।
 - iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना।
6. **उच्च वर्गीय लिपिक (UDC), पद की संख्या-01**
- i. उच्च वर्गीय लिपिक द्वारा सभी संचिकाओं का लेखा-जोखा रखना।
 - ii. वर्ष में दो बार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को अपडेट करके निदेशक को समर्पित करना।
 - iii. कार्यालय के सभी रिकॉर्ड बनाए रखना, पत्राचार संभालना, अनुसंधान कार्य में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना तथा भाषणों और रिपोर्टों के प्रारूप को तैयार करना।
 - iv. संस्थान में किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों का रिपोर्टियर का कार्य करना होगा।
 - v. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना।
7. **चर्मपूरक (Jr. Taxidermist), पद की संख्या-01**
- i. केंद्र में टैक्सीडर्मी कार्य किसी जन्तु को प्रदर्शन या अध्ययन के लिए इस प्रकार तैयार करने का होगा जिसे उसे शो केश में इस प्रकार रखने योग्य बनाना है कि वह हूबहू ओरिजिनल जैसा लगे।

- ii. इसमें आमतौर पर जंतुओं की असली खाल को नकली शरीर पर चढ़ाना शामिल होता है ताकि जन्तु जीवित दिखे।
- iii. यह शरीर को संरक्षित करने का एक तरीका है ताकि वैज्ञानिक या संग्रहालय में आने वाले आगंतुक देख सकें एवं उसकी अनुभूति कर सकें कि जन्तु जीवित होने पर कैसा दिखता है।
- iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
8. **स्टोर सहायक-सह-क्यूरेटर (Store Assistant-cum-Curator), पद की संख्या-01**
 - i. केंद्र में सामानों का क्रय करना एवं केंद्र के अधिकारी एवं कर्मचारी स्टेशनरी या स्टोर का सामान का इंडेंट सक्षम अधिकारी को देना।
 - ii. वे खरीदे जाने वाले सामानों की सूची बनाकर संबंधित अधिकारियों से विमर्श कर निदेशक से अनुमति प्राप्त करना।
 - iii. स्टोर सामग्री एवं स्टैशनेरी सामग्री को खरीदने के लिए ळम्ड की जानकारी आवश्यक होना।
 - iv. स्टोर के स्टॉक में सभी आवश्यक सामान उपलब्ध है या नहीं स्टोर सहायक को जानकारी रखना।
 - v. सामग्री समाप्त होने के पहले ही उसके खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू करना।
 - vi. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना।
9. **प्रयोगशाला तकनीकी सहायक (Lab Technical Assistant), पद की संख्या-04**
 - i. प्रयोगशाला में सही परीक्षण तथा उपकरणों का उपयोग करके नमूनों या पदार्थों को इकट्ठा करना एवं अन्य संगत कार्य।
 - ii. सैम्पल प्राप्त करना, लेबल करना तथा विश्लेषण करना। मानक परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुरूप प्रयोगशाला परीक्षण को डिजाइन करना और निष्पादित करना।
 - iii. अवलोकनों को रिकॉर्ड करना और निष्कर्षों की व्याख्या करना।
 - iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
10. **मोटर बोट चालक (Motor Boat Driver), पद की संख्या-03**
 - i. सर्वे के समय बोट को चलाना।
 - ii. जब बोट का उपयोग नहीं होगा तो उस समय मोटर बोट को ढँक कर रखना तथा हमेशा निगरानी तथा रखरखाव का पूरा ध्यान अन्य सहयोगियों के साथ करना।
 - iii. वर्षा के समय सभी सहयोगियों के साथ नदी में तथा तट पर बोट को कुछ हानि नहीं पहुंचे इसका पूरा ध्यान रखना।
 - iv. बोट चलाते समय सभी सवारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निदेश देना तथा लाइफ जैकेट प्रदत्त करना।
 - v. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना।
11. **निम्न वर्गीय लिपिक (LDC), पद की संख्या-01**
 - i. डाक का पंजीकरण, अनुभाग डायरी (Diary, Issue and Despatch) का रख-रखाव।
 - ii. फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, अनुक्रमण और रिकॉर्डिंग, टाइपिंग, तुलना, प्रेषण, बकाया और अन्य विवरण तैयार करना।
 - iii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन बनाना तथा बनाने में मदद करना।
 - iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
12. **कार्यालय वाहन चालक (Driver), पद की संख्या-02**
 - i. केंद्र में दो वाहन होंगे उनके लिए दो वाहन चालक होंगे।
 - ii. एक वाहन निदेशक के कार्यालयी कार्यों के लिए होगा तथा दूसरा वाहन कार्यालय के कार्यों (स्थानीय एवं विभागीय टूर) के लिए सुरक्षित होगा।
 - iii. अग्निशामक यंत्र काम कर रहा है इसे सुनिश्चित करना।
 - iv. आवश्यक होने पर वाहन की मरम्मत की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक आग्रह भेजना।
 - v. ड्राइविंग के अलावा, नियमित रूप से वाहन की जांच करना।
 - vi. वाहन चालक को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी ट्रैफिक कानूनों और विनियमों का पालन करना।
 - vii. वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना।
 - viii. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
13. **पुस्तकालय सहायक (Library Assistant), पद की संख्या-01**

केंद्र में एक वृहद पुस्तकालय होगा जिसमें विश्वविद्यालय के साथ-साथ विजीटिंग बाहरी छात्र-छात्राएँ आजा लेकर उसका उपयोग कर सकेंगे।

- i. ई-पुस्तकालय का कार्य देखना।
 - ii. पुस्तकों को अलमारियों में रखना।
 - iii. अलमारियों एवं डिस्प्ले को पुनर्व्यवस्थित करना।
 - iv. संग्रह में नई सामग्री को संग्रहित करना।
 - v. नई एवं जरूरत के पुस्तकों की खरीद के लिए आग्रह तैयार करना।
 - vi. पुस्तकों की छोटी-मोटी मरम्मत करना एवं संचालन सामग्री को साफ करना।
 - vii. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
- 14. कार्यालय परिचारी (Office Attendant/ MTS/ Peon), पद की संख्या-05**
मल्टी टास्किंग स्टाफ को विभिन्न कार्य करने वाले कर्मचारी कहा जाता है, कार्यालय प्रधान चाहे तो उनको किसी भी तरह का कार्य करना होगा। इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये कार्य होने:
- i. रिकॉर्ड कीपर/सीनियर चपरासी/दफ्तरी/जेनेरेटर ऑपरेटर/चपरासी/चौकीदार/ वाटरमैन/माली/ सफाईवाला के जैसा ही कार्य होगा।
 - ii. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
- 15. कॉन्फ्रेंस हॉल अटेंडेंट (Conference Hall Attendant), पद की संख्या-02**
केंद्र में एक बड़ा सा औडियो विडिओ सहित कॉन्फ्रेंस हॉल है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस के निहित होगा:
- i. इसके डेस्क, कम्प्यूटर, टीवी, कुर्सी को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करना।
 - ii. कॉन्फ्रेंस में मेहमानों की तैयारी, छात्र-छात्रों की प्रवेश निर्धारित करना तथा पंजीकरण में सहायता करना।
 - iii. कॉन्फ्रेंस हॉल अटेंडेंट का काम सफाई के साथ साथ उस हॉल में रखे सभी तरह के उपकरणों की जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी।
 - iv. हरेक सप्ताह में कॉन्फ्रेंस हॉल अटेंडेंट मुख्य प्रशासक को अधतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।
 - v. साफ सफाई एवं विद्युत की जवाबदेही कॉन्फ्रेंस हॉल अटेंडेंट पर ही होगी।
 - vi. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
- 16. सर्वे वेसेल टीम (Survey Vessel Team), पद की संख्या-04**
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा जब डॉल्फिन या अन्य जंतुओं के प्रोपर सर्वे होंगे तब सर्वे वेसेल टीम की आवश्यकता होगी जिसमें वे चालक दल भी होंगे जो इस वेसेल के ड्राइवर होंगे।
- i. इन बोटों के देखरेख तथा निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - ii. उनके यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोट सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।
उनका यह भी ज़ुबूटी होगा कि कहीं पर मरम्मत का कार्य का मूल्यांकन करना होगा और उचित भंडारण और सुरक्षा के लिए बोट का निरीक्षण करते रहना होगा।
 - iii. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
- 17. केयरटेकर (बोट गार्ड) (Caretaker Boat Guard), पद की संख्या-03**
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र द्वारा मोटर बोट खरीदने की जरूरत होगी जिससे वैज्ञानिकों के दल किसी भी समय गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में शोध हेतु या डॉल्फिन के गणना/रेस्क्यू के समय आसानी से आ-जा सकें। बड़ा आकार होने के कारण इसे नदी में रखना होगा।
- i. इन मोटर बोट पर लोगों का सामान और माल के चढ़ने-चढ़ाने को नियंत्रित करना।
 - ii. मोटर बोट की नदी में ही रात-दिन देखभाल करना।
 - iii. मोटर बोट रखने वाले स्थान प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक होगा जहां आम लोगों का प्रवेश निषेध होगा।
 - iv. इस परिस्थिति में 24 घंटे मोटर बोट की निगरानी इनके द्वारा ही किया जाएगा।
 - v. अतः गश्त सहित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना तथा मोटर बोट के सामान तथा इनके भंडार की निगरानी करना।
 - vi. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
- 18. केयरटेकर (गार्ड) (Caretaker Guard), पद की संख्या-03**
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की देखभाल, इस केन्द्र में संधारित एवं संधारित किये जाने वाले शोध से संबंधित विभिन्न प्रकार के तकनीकी उपकरणों इत्यादि एवं परिसर के अन्दर आने-जाने वाले वाहनों की सुरक्षा हेतु गार्ड की अनिवार्य आवश्यकता है। इस प्रकार प्रति आठ घंटे के लिए तीन गार्ड की आवश्यकता होगी जिनकी जिम्मेदारियाँ निम्नवत् हैं:-

- i. परिसर का बार-बार निरीक्षण और गश्त करना।
- ii. आगंतुकों के प्रवेश और निकास पर नज़र रखना।
- iii. किसी भी असामाजिक/संदिग्ध गतिविधि की सूचना संबंधित अधिकारियों को देना।
- iv. अलार्म का जवाब देना और समय पर जवाब देना।
- v. निगरानी कैमरे की निगरानी करना आदि।
- vi. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
19. **प्रयोगशाला अटेंडेंट (Lab Attendant), पद की संख्या-03**
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र में तीन तरह के प्रयोगशालाये होंगी—(1) डॉल्फिन के शरीर का विच्छेदन होगा, (2) गंगा जल के भौतिक एवं रसायनिक जांच होगी, तथा (3) गंगा के जंतुओं की विशेष रख-रखाव होगा।
 - i. प्रयोगशाला अटेंडेंट प्रयोगशाला के हाउसकीपिंग और इन्वेंट्री का रखरखाव करना।
 - ii. फील्ड सैंपल के संग्रह, तैयारी और वितरण करना,
 - iii. प्रयोगशाला उपकरणों और कांच के बने पदार्थ के रखरखाव में नियमित और अर्ध-कुशल कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण के तहत काम करना।
 - iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
20. **पुस्तकालय अटेंडेंट (Library Attendant), पद की संख्या-01**
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र में गंगा के ऊपर तथा अन्य विषयों पर आधारित एक बहुत ही विस्तृत पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी है। जहां विश्व स्तर के पुस्तकें रहेंगी जो विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा।
 - i. पुस्तकालय अटेंडेंट सभी पाठकों की देखभाल करेंगे तथा छात्रों के द्वारा मांगे गए पुस्तक को रजिस्टर से निर्गत करना।
 - ii. अन्य कर्तव्यों में पुस्तकालय के किताबों की सफाई और शेल्फ की सफाई कार्य करेंगे जो लाइब्रेरियन द्वारा सौंपे जायेंगे।
 - iii. पोस्टल विभाग द्वारा आए हुए किताबों को लाना एवं ले जाना।
 - iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
21. **इलेक्ट्रीशियन (Electrician), पद की संख्या-01**
राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र में अत्याधुनिक विशिष्ट उपकरण लगे होंगे। यह केंद्र एक बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है जहां किसी भी समय बिजली समस्या उत्पन्न हो सकती है।
 - i. 24 घंटे बिना बाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
 - ii. विद्युत मशीनरी उपकरण और फिटिंग्स को स्थापित करना।
 - iii. रखरखाव, मरम्मत, विद्युत सर्किट, स्थापना विवरण आदि निर्धारित करने के लिए चित्रों और अन्य विशिष्टताओं का अध्ययन करना।
 - iv. विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर आदि की स्थिति का देखभाल करना।
 - v. कनेक्शन बनाना और टर्मिनलों को सोल्डर करना।
 - vi. विद्युत प्रतिष्ठानों और उपकरणों का परीक्षण करना और दोषों का पता लगाना।
 - vii. दोषपूर्ण तारों, जले हुए फ्यूज और दोषपूर्ण भागों की मरम्मत करना।
 - viii. फिटिंग और फिक्सचर को काम करने की स्थिति में रखना।
 - ix. विद्युत मोटर, पंप आदि का संचालन, देखभाल और रखरखाव करना।
 - x. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।
22. **डाटा इंट्री ऑपरेटर, (Data Entry Operator) पद की संख्या-02 की सेवा बेलट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर ली जायेगी।**
 - i. डाक का पंजीकरण, अनुभाग डायरी (Diary, Issue and Despatch) का रख-रखाव।
 - ii. फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, अनुक्रमण और रिकॉर्डिंग, टाइपिंग, तुलना, प्रेषण, बकाया और अन्य विवरण तैयार करना।
 - iii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन बनाना तथा बनाने में मदद करना।
 - iv. समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो, अन्य कार्य निदेशक के निर्देशानुसार करना होगा।

इस प्रकार 45 पदों के सृजन पूर्णतः औचित्यपूर्ण है।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सं० 02/बि०व०से०स्था-10/2017/5373/प०व०ज०प०

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना

द्वारा :-

वित्त विभाग,

बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-4 अक्टूबर 2025

विषय :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु कुल 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :-**स्वीकृत****महाशय,**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रशासकीय/प्रबंधकीय तंत्र के सुदृढीकरण, वानिकी कार्यों के नियंत्रण, विभिन्न योजनाओं के सूत्रण, क्रियान्वयन एवं जन समुदाय से प्रभावी सामंजस्य के दृष्टिकोण से विभाग अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु रुपये 70,43,33,304/- (सत्तर करोड़ तेतालीस लाख तेतीस हजार तीन सौ चार रुपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति **परिशिष्ट-1** के अनुरूप कोटिवार पदों की संख्या एवं वेतन स्तर के अन्तर्गत दी जाती है।

2. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत विभिन्न कोटि के सृजित कुल 1491 अतिरिक्त पदों की विवरणी संलग्न **परिशिष्ट-2** के अनुरूप निम्नवत है:-

क्र० सं०	पदनाम	वेतन स्तर	पूर्व से सृजित पदों की संख्या	अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या	पुर्नगठन के पश्चात कुल पद
1	2	3	4	5	6
1.	वन संरक्षक	लेवल-13 ए०	01	02	03
2.	वरीय उप वन संरक्षक	लेवल-12	10	07	17
3.	उप वन संरक्षक	लेवल-11	21	07	28
4.	सहायक वन संरक्षक	लेवल-09	41	26	67
5.	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	लेवल-06	157	0	157
6.	वनपाल	लेवल-05	608	44	652
7.	वनरक्षी	लेवल-03	2359	233	2592
8.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	लेवल-07	11	34	45
9.	प्रधान लिपिक	लेवल-06	44	1	45
10.	उच्च वर्गीय लिपिक	लेवल-04	85	83	168
11.	निम्नवर्गीय लिपिक	लेवल-02	170	336	506
12.	आशुलिपिक-III	लेवल-04	34	11	45
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25209/-	0	394	394
14.	वाहन चालक	लेवल-02	78	194	272
15.	कार्यालय परिचारी	लेवल-01	290	117	407
16.	अमीन	लेवल-03	39	02	41
कुल			3948	1491	5439

3. पुर्नगठन के पश्चात विभाग अंतर्गत कार्यालयवार विभिन्न सेवा संवर्गों का कुल संवर्ग बल संलग्न **परिशिष्ट-3** के अनुरूप होंगे।

4. नवसृजित पदों पर होने वाले व्यय का विकलन मांग संख्या-19 के निम्नांकित शीर्ष अन्तर्गत किया जाएगा :-

- (i) मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, उप शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-0006-पर्यावरण एवं वन विभाग, विपत्र कोड-19-3451000900006
- (ii) मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-0001-निदेशन और प्रशासन, विपत्र कोड- 19-2406010010001

- (iii) मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-0001-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा, विपत्र कोड-19-2406011010001
- (iv) मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01- वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-0002-वर्किंग प्लान प्रमंडल, विपत्र कोड-19- 2406011010002
- (v) मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-110-वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-0003-अभयारण, विपत्र कोड-19-2406021100003
- (vi) मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-111-चिड़ियाघर, उप शीर्ष-0001-अन्य उद्यान, विपत्र कोड-19-2406021110001 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
5. उपरोक्त कुल 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक 03.10.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

परिशिष्ट-1
अतिरिक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी।

क्रमांक	सेवा/संवर्ग		पे एवं पे लेवल	एक माह का वेतन	एक माह का महंगाई भत्ता (55%)	आवास भत्ता (20%)	एक माह का परिवहन भत्ता	एक माह का परिवहन न भत्ता	एक माह का चिकित्सा भत्ता	एक माह का वेतन अन्य भत्ता का योग (5 to 10)	नव सृजित पदों की संख्या	अनुमानित मसिक व्यय (11 x 12)	कुल वार्षिक व्यय (13 x 12 माह)	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बिहार वन सेवा	वन संरक्षक	(131100-216600) Level-13 A	131100	72105	26220	4000	2200	1000	236625	2	473250	5679000	
		वरीय उप वन संरक्षक	(78800-209200) Level-12	78800	43340	15760	4000	2200	1001	145101	7	1015707	12188484	
		उप वन संरक्षक	(67700-208700) Level-9	67700	37235	13540	4000	2200	1002	125677	7	879739	10556868	
		सहायक वन संरक्षक	(53100-167800) Level-9	53100	29205	10620	3000	1650	1000	98575	26	2562950	30755400	
2	बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	(35400-112400) Level-6	35400	19470	7080	1500	825	1000	65275	0	0	0	
3	बिहार अवर वन सेवा संवर्ग	वनपाल	(29200-92300) Level-5	29200	16060	5840	1500	825	1000	54425	44	2394700	28736400	
4		वनरक्षी	(21700-69100) Level-3	21700	11935	4340	1500	825	1000	41300	233	9622900	115474800	
5	बिहार वन लिपिकीय सेवा संवर्ग	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	(44900-142400) Level-7	44900	24695	8980	3000	1650	1000	84225	34	2863650	34363800	
6		प्रधान लिपिक	(35400-112400) Level-6	35400	19470	7080	1500	825	1000	65275	1	65275	783300	
7		उच्चवर्गीय लिपिक	(25500-81100) Level-4	25500	14025	5100	1500	825	1000	47950	83	3979850	47758200	

8		निम्नवर्गीय लिपिक	(19900-63200) Level-2	19900	10945	3980	1500	825	1000	38150	336	12818400	153820800	
9	बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग	आशुलिपिक-III	(25500-81100) Level-4	25500	14025	5100	1500	825	1000	47950	11	527450	6329400	
10	बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय अमीन सेवा संवर्ग	अमीन	(21700-69100) Level-3	21700	11935	4340	1500	825	1000	41300	2	82600	991200	
11	बिहार वाहन चालक	चालक	(19900-63200) Level-2	19900	10945	3980	1500	825	1000	38150	194	7401100	88813200	
12	बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग	कार्यालय परिचारी	(18000-56900) Level-1	18000	9900	3600	1500	825	1000	34825	117	4074525	48894300	
13		कम्प्यूटर ऑपरेटर		25209	0	0	0	0	0	25209	394	9932346	119188152	बेल्टॉन द्वारा निर्धारित मानदेय।
कुल											1491	58694442	704333304	

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-02

क्र.सं.	पदनाम	वेतनस्तर	पुर्नगठन के पश्चात प्रस्तावित पद	पूर्व से सृजित पदों की संख्या	अतिरिक्त पद सृजन की संख्या (4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	वन संरक्षक	वेतन स्तर-13ए	03	01	02
2.	वरीय उप वन संरक्षक	वेतन स्तर-12	17	10	07
3.	उप वन संरक्षक	वेतन स्तर-11	28	21	07
4.	सहायक वन संरक्षक	वेतन स्तर-9	67	41	26
5.	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	वेतन स्तर-6	157	157	0
6.	वनपाल	वेतन स्तर-5	652	608	44
7.	वनरक्षी	वेतन स्तर-3	2592	2359	233
8.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	वेतन स्तर-7	45	11	34
9.	प्रधान लिपिक	वेतन स्तर-6	45	44	1
10.	उच्चवर्गीय लिपिक	वेतन स्तर-4	168	85	83
11.	निम्नवर्गीय लिपिक	वेतन स्तर-2	506	170	336
12.	आशुलिपिक-III	वेतन स्तर-4	45	34	11
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25209 / -	394	0	394
14.	वाहन चालक	वेतन स्तर-2	272	78	194

15.	कार्यालय परिचारी	वेतन स्तर-1	407	290	117
16.	अमीन	वेतन स्तर-3	41	39	02
कुल पद			5439	3948	1491
व्यय भार तदनुसार परिमार्जित।					

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-3

कार्यालय वार विभिन्न सेवा संवर्गों के पदों की कूल आवश्यकता की गणना।

क्रम सं०	कार्यालय	बिहार वन सेवा संवर्ग				बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग	बिहार अवर वन सेवा संवर्ग		बिहार वन लिपिकीय सेवा संवर्ग				बिहार पर्यावरण, वन एवं विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग	बेल्टरॉन द्वारा सेवाएं ली जायेगी	वाहन चालक संवर्ग	बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग	बिहार, पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय अमीन सेवा संवर्ग	कुल	अभ्युक्ति
		वन संरक्षक (लेवल-13 ए0)	वरीय उप वन संरक्षक (लेवल-12)	उप वन संरक्षक (लेवल-11)	सहायक वन संरक्षक (लेवल-9)		वनपाल (लेवल-6)	वनरक्षी (लेवल-3)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी (लेवल-7)	प्रधान लिपिक (लेवल-6)	उच्चवर्गीय लिपिक (लेवल-4)	निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 (i)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना	2	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	23	पूर्व से 01 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। 01 अतिरिक्त पद के सृजन सहित कुल 02 प्रस्तावित है।
(ii)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) संभाग	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	01 (i) से (ix) तक (मुख्यालय कार्यालय) में बिहार वन सेवा के पदों, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद आवश्यकता आधारित प्रस्तावित किया गया है। शेष पद क्षेत्रीय स्तर के पद हैं, जिन्हें मुख्यालय
(iii)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार संभाग	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	

(iv)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक संभाग	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	
(v)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्प) संभाग	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	
(vi)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्र भूमि संभाग	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	9	
(vii)	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास संभाग	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	
(viii)	मुख्य वन संरक्षक (आईएचडी)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
(ix)	मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन संभाग	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	
2	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (सचिवालय कार्यालय)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	
3	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
4	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	8	1	4	3	4	0	27	।
5	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3	8	1	4	3	4	0	27	।

6	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	6	1	4	3	4	0	24	।
7	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	6	1	4	3	4	0	24	।
8	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
9	वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
10	वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, पटना	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
11	वन संरक्षक, गया जी अंचल, गया जी	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
12	वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
13	वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
14	वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
15	वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	7	1	3	2	3	0	22	।
16	वन संरक्षक -सह-क्षेत्र निदेशक, भेतिয়া	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	4	1	0	1	2	0	13	

17	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना।	0	0	0	2	5	20	80	1	1	3	14	1	10	8	11	2	158	आवश्यकता आधारित पूर्व से सृजित कुल 02 अमीन के पद को यथावत रखने का प्रस्ताव है।
18	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा।	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	6	10	1	109	भोजपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 03 वन प्रक्षेत्र/ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से बक्सर वन प्रक्षेत्र को अलग कर बक्सर वन प्रमंडल का सृजन सरकार के समक्ष प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में भोजपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 03 वन प्रक्षेत्र सृजन का प्रस्ताव है।
19	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारसरीफ।	0	0	0	2	5	20	84	1	1	3	14	1	10	8	11	1	161	-
20	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना।	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	8	6	9	1	107	-
21	वन प्रमंडल पदाधिकारी, राजगीर जू सफारी, नालंदा	0	0	0	1	3	19	42	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103	आवश्यकता आधारित प्रस्तावित है।

22	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया जी वन प्रमंडल, गया जी	0	0	0	2	6	43	172	1	1	3	15	1	11	9	12	1	277	गया वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 07 वन प्रक्षेत्र/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से जहानाबाद वन प्रक्षेत्र को अलग कर जहानाबाद वन प्रमंडल सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिसके कारण गया वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 06 वन प्रक्षेत्र रह जायेंगे।
23	वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद	0	0	0	2	4	17	68	1	1	3	13	1	9	7	10	2	138	
24	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा।	0	0	0	2	4	25	100	1	1	3	13	1	9	7	10	2	178	
25	राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया	0	0	0	1	3	1	0	1	1	3	6	1	9	5	5	2	38	पदाधिकारी एवं वनपाल के पदों को यथावत् रखा गया है। वेण आवश्यकता आधारित प्रस्तावित है। 2. आवश्यकता आधारित पूर्व से सृजित 02 अमीन के पद को यथावत रखने का प्रस्ताव
26	वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम	0	0	0	2	5	29	125	1	1	3	14	1	10	8	11	1	211	
27	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भगुआ	0	0	0	2	6	42	170	1	1	3	15	1	11	9	12	1	274	

28	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर	0	0	0	2	4	31	130	1	1	3	13	1	9	7	10	1	213	मुंगेर वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 05 वन प्रक्षेत्र/वनो के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है, इनमें से लखीसराय वन प्रक्षेत्र को अलग कर लखीसराय वन प्रमंडल सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव जिसके कारण मुंगेर वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 04 वन प्रक्षेत्र रह जायेंगे।
29	वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-1, बेतिया	0	0	0	2	3	19	80	1	1	3	12	1	9	7	12	1	151	-
30	वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2, बेतिया	0	0	0	2	6	24	96	1	1	3	15	1	11	9	12	1	182	05 प्रक्षेत्र पूर्व से ही सृजित है। 01 प्रक्षेत्र (नौरिया दोन) सृजित करने का प्रस्ताव है।
31	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-
32	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई	0	0	0	2	5	27	108	1	1	3	14	1	10	8	11	2	193	
33	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका	0	0	0	2	3	20	90	1	1	3	12	1	9	7	12	2	163	
34	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-

35	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ	0	0	0	2	3	18	72	1	1	3	12	1	9	7	12	1	142	पूर्णियाँ वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 04 वन प्रक्षेत्र/वनो के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से कटिहार वन प्रक्षेत्र को अलग कर नये वन प्रमंडल कोटिहार के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव 03 वन प्रक्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।
36	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	अररिया वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 04 वन प्रक्षेत्र/वनो के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से किशनगंज वन प्रक्षेत्र को अलग कर नये वन प्रमंडल किशनगंज के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव 03 वन प्रक्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।
37	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा	0	0	0	2	3	13	52	1	1	3	12	1	9	7	12	1	117	सहरसा वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 03 वन प्रक्षेत्र/वनो के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से मधेपुरा वन प्रक्षेत्र को अलग कर नये वन प्रमंडल मधेपुरा के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव 03 वन प्रक्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।
38	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-

39	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय	0	0	0	2	3	14	56	1	1	3	12	1	9	7	12	1	122	बेगूसराय वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 04 वन प्रक्षेत्र / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से खगड़िया वन प्रक्षेत्र को अलग कर नये वन प्रमंडल खगड़िया के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव कुल 03 वन प्रक्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।
40	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा	0	0	0	2	4	23	92	1	1	11	15	1	11	9	12	1	183	मिथिला वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 05 वन प्रक्षेत्र / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से मधुबनी वन प्रक्षेत्र को अलग कर नये वन प्रमंडल मधुबनी के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव कुल 04 वन प्रक्षेत्र का प्रस्तावित किये गये हैं।
41	वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	0	0	0	2	3	12	48	1	1	11	15	1	11	9	12	1	127	-
42	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी वन प्रमंडल, सीतामढ़ी	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-
43	वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-
44	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी	0	0	0	2	4	16	64	1	1	11	15	1	11	9	12	1	148	-
45	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-

46	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज	0	0	0	2	3	17	68	1	1	3	13	1	9	7	10	1	136	गोपालगंज वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 04 वन प्रक्षेत्र/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद स्वीकृत है। इनमें से सीवान वन प्रक्षेत्र को अलग कर नये वन प्रमंडल सीवान के सृजन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अतएव कुल 03 वन प्रक्षेत्र का प्रस्तावित किये गये है।
47	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर	0	0	0	2	3	12	48	1	1	3	12	1	9	7	12	1	112	-
48	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन कार्य नियोजना प्रमंडल, पटना	0	0	0	2	4	5	0	1	0	4	8	1	4	7	9	3	48	इस प्रमंडल अन्तर्गत पूर्व से सृजित वन प्रक्षेत्र/वनपाल/वनरक्षी/अमीन को यथावत रखा गया है। शेष आवश्यकता आधारित प्रस्तावित है।
49	वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध, प्रशिक्षण एवं जनसंपर्क प्रमंडल, पटना	0	0	0	2	5	8	16	0	1	11	15	0	11	9	12	1	91	इस प्रमंडल अन्तर्गत पूर्व से सृजित वन प्रक्षेत्र / वनपाल / वनरक्षी को यथावत रखा गया है। शेष आवश्यकता आधारित प्रस्तावित है।
50	उड़नदस्ता प्रक्षेत्र (अंचल में सलान)	0	0	0	0	8	8	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	पूर्व से सृजित उड़नदस्ता प्रक्षेत्र / वनपाल / वनरक्षी के पदों को ही यथावत रखा गया है।
51	विशेष ब्याघ्र संरक्षण बल (STPB)	0	0	0	1	3	18	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	पूर्व से सृजित सहायक वन संरक्षक / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी / वनपाल / वनरक्षी को यथावत रखा गया है।

52	वन संरक्षक, ईको टूरिज्म	0	0	0	2	16	33	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	पूर्व से सृजित सहायक वन संरक्षक / वर्गों के क्षेत्र पदाधिकारी / वनपाल / वनरक्षी को यथावत रखा गया है।
53	मानव वन्यप्राणी इंद्र	0	0	0	0	0	10	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	पूर्व से सृजित वनपाल / वनरक्षी को यथावत रखा गया है।
54	निदेशक, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	निदेशक संजय गांधी जैविक उद्यान हेतु प्रस्ताव प्रशासी विभाग को अलग से प्रेषित है।
कुल		3	17	28	68	159	652	2592	45	45	168	506	45	394	272	407	41	5442	

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सं० मु०स्था०-09/2018-5372/प०ब०ज०प०

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

द्वारा :- * वित्त विभाग,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-04 अक्टूबर 2025

विषय :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न कोटि के कुल 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत

महाशय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रशासकीय/प्रबंधकीय तंत्र के सुदृढीकरण, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, विभिन्न अधिनियमों/नियमों के तहत प्रावधानित नियामक कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत सचिवालय कार्यालय के लिए रुपये 2,11,95,000/- (दो करोड़ ग्यारह लाख पंचानवे हजार रुपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 23 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के लिए रुपये 4,79,71,200/- (चार करोड़ उन्नासी लाख एकहत्तर हजार दो सौ रुपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 55 अतिरिक्त पदों के सृजन अर्थात् कुल 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति क्रमशः परिशिष्ट-01 एवं 02 के अनुरूप कोटिवार पदों की संख्या एवं वेतन स्तर के अन्तर्गत दी जाती है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत सचिवालय कार्यालय के लिए कुल 23 अतिरिक्त पदों एवं संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के लिए कुल 55 अतिरिक्त पदों अर्थात् कुल 78 अतिरिक्त सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :-

सचिवालय कार्यालय				
क्र०	पदनाम	अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या	वेतन स्तर	सेवा संवर्ग
1	2	4	6	7
i.	अपर सचिव	01	वेतन स्तर-	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग

			13A	
ii.	प्रशाखा पदाधिकारी	02	वेतन स्तर-09	बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग
iii.	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	08	वेतन स्तर-07	
iv.	आप्त सचिव	03	वेतन स्तर-09	बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग
v.	उच्च वर्गीय लिपिक	02	वेतन स्तर-04	बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग
vi.	निम्न वर्गीय लिपिक	04	वेतन स्तर-02	
vii.	वाहन चालक	03	वेतन स्तर-02	वाहन चालक सेवा संवर्ग
	कुल पदों की संख्या	23		

सचिवालय संलग्न : प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय				
क्र०	पदनाम	अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या	वेतन स्तर	सेवा संवर्ग
1	2	4	6	7
i.	उप सचिव	02	वेतन स्तर-11	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग
ii.	अवर सचिव	04	वेतन स्तर-11	बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग
iii.	प्रशाखा पदाधिकारी	04	वेतन स्तर-09	
iv.	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	16	वेतन स्तर-07	
v.	प्रधान आप्त सचिव	01	वेतन स्तर-11	बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग
vi.	आप्त सचिव	02	वेतन स्तर-09	
vii.	निजी सहायक	04	वेतन स्तर-07	
viii.	आशुलिपिक	04	वेतन स्तर-04	
ix.	वाहन चालक	07	वेतन स्तर-02	वाहन चालक सेवा संवर्ग
x.	कार्यालय परिचारी	11	वेतन स्तर-01	कार्यालय परिचारी सेवा संवर्ग
	कुल पदों की संख्या	55		

3. नवसृजित पदों पर होने वाले व्यय का विकलन सुसंगत विषय शीर्षों के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. उपरोक्त पद सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक 03.10.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत सचिवालय कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न सेवा संवर्गों में पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी।

[illegible]

परिशिष्ट-02

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत सचिवालय संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न सेवा संवर्गों में पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी।

क्रमांक	पदनाम	पे एवं पे लेवल	एक माह का वेतन	एक माह का महंगाई भत्ता (55%)	आवास भत्ता (20%)	एक माह का परिवहन भत्ता	एक माह का परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता (55%)	एक माह का चिकित्सा भत्ता	एक माह का वेतन अन्य भत्ता का योग (4 to 9)	नव सृजित पदों की संख्या	अनुमानित मासिक व्यय (10 x 11)	कुल वार्षिक व्यय (12 x 12 माह)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उप सचिव	(67700-208700) Level-11	67700	37235	13540	4000	2200	1000	125675	02	251350	3016200	बि.प्र.से.
	अवर सचिव	(67700-208700) Level-11	67700	37235	13540	4000	2200	1000	125675	04	502700	6032400	बि.स.से.
	प्रशाखा पदाधिकारी	(53100-167800) Level-9	53100	29205	10620	3000	1650	1000	98575	04	394300	4731600	बि.स.से.
	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	(44900-142400) Level-7	44900	24695	8980	3000	1650	1000	84225	16	1347600	16171200	बि.स.से.
	प्रधान आप्त सचिव	(67700-208700) Level-11	67700	37235	13540	4000	2200	1000	125675	01	125675	1508100	बि.स.आ.से.
2	आप्त सचिव	(53100-167800) Level-9	53100	29205	10620	3000	1650	1000	98575	02	197150	2365800	बि.स.आ.से.
	निजी सहायक	(44900-142400) Level-7	44900	24695	8980	3000	1650	1000	84225	04	336900	4042800	बि.स.आ.से.
3	आशुलिपिक	(25500-81100) Level-4	25500	14025	5100	1500	825	1000	47950	04	191800	2301600	बि.स.आ.से.

4	वाहन चालक	(19900-63200) Level-2	19900	10945	3980	1500	825	1000	38150	07	267050	3204600	
5	कार्यालय परिचारी	(18000-56900) Level-1	18000	9900	3600	1500	825	1000	34825	11	383075	4596900	
	कुल		462500	254375	92500	28500	15675	10000	863550	55	3997600	47971200	
(कुल चार करोड़ उनासी लाख एकहत्तर हजार दो सौ रुपये मात्र)													

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सं० भा०व०से० (स्था०)-21/2012-5374/प०व०ज०प०

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना

द्वारा :- * वित्त विभाग,

बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-04/10/2025

विषय :- बिहार राज्य के अन्तर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ-साथ नौ नये वन प्रमंडलों का सृजन एवं उसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत

महाशय,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रशासकीय/प्रबंधकीय तंत्र के सुदृढीकरण, वानिकी कार्यों के नियंत्रण एवं जन समुदाय से प्रभावी सामंजस्य के दृष्टिकोण से बिहार राज्य के अन्तर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ-साथ 9 नये वन प्रमंडलों का सृजन एवं इन नव सृजित वन प्रमंडलों के लिए रुपये 46,73,34,900/- (छियालीस करोड़ तिहत्तर लाख चौतीस हजार नौ सौ रुपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन की स्वीकृति **परिशिष्ट-1** के अनुरूप कोटिवार पदों की संख्या एवं वेतन स्तर के अन्तर्गत दी जाती है।

नव सृजित वन प्रमंडलों का क्षेत्राधिकार निम्नवत् होगा :-

क्रम सं०	नवसृजित प्रमंडल का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बक्सर वन प्रमंडल, बक्सर।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान भोजपुर वन प्रमंडल से बक्सर जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण बक्सर जिला होगा एवं इसका मुख्यालय बक्सर होगा। पुनर्गठन के पश्चात् भोजपुर वन प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सिर्फ भोजपुर जिला तक सीमित रहेगा।

2.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद वन प्रमंडल, जहानाबाद	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान गयाजी वन प्रमंडल से जहानाबाद जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र जहानाबाद जिला होगा एवं इसका मुख्यालय जहानाबाद होगा। पुनर्गठन के पश्चात् गयाजी वन प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सिर्फ गयाजी जिले तक सीमित रहेगा।
3.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लखीसराय वन प्रमंडल, लखीसराय।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान मुंगेर वन प्रमंडल से लखीसराय जिले एवं जमुई वन प्रमंडल से शेखपुरा जिला को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र लखीसराय एवं शेखपुरा जिला होगा एवं इसका मुख्यालय लखीसराय होगा। पुनर्गठन के पश्चात् मुंगेर एवं जमुई वन प्रमंडल का कार्य क्षेत्र क्रमशः सिर्फ मुंगेर एवं जमुई जिले तक सीमित रहेगा।
4.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मधुबनी वन प्रमंडल, मधुबनी।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान मिथिला वन प्रमंडल से मधुबनी जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र मधुबनी जिला होगा एवं इसका मुख्यालय मधुबनी होगा। पुनर्गठन के पश्चात् मिथिला वन प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सिर्फ दरभंगा जिले तक सीमित रहेगा।
5.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीवान वन प्रमंडल, सीवान।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान गोपालगंज वन प्रमंडल से सीवान जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सीवान जिला होगा एवं इसका मुख्यालय सीवान होगा। पुनर्गठन के पश्चात् गोपालगंज वन प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सिर्फ गोपालगंज जिले तक सीमित रहेगा।
6.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कटिहार वन प्रमंडल, कटिहार।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान पूर्णियाँ वन प्रमंडल से कटिहार जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र कटिहार जिला होगा एवं इसका मुख्यालय कटिहार होगा। पुनर्गठन के पश्चात् पूर्णियाँ वन प्रमंडल का कार्य क्षेत्र सिर्फ पूर्णियाँ जिले तक सीमित रहेगा।
7.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खगड़िया वन प्रमंडल, खगड़िया।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान बेगूसराय वन प्रमंडल से खगड़िया जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र खगड़िया जिला होगा एवं इसका मुख्यालय खगड़िया होगा। पुनर्गठन के पश्चात् बेगूसराय वन प्रमंडल का क्षेत्र सिर्फ बेगूसराय जिले तक सीमित रहेगा।
8.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा वन प्रमंडल, मधेपुरा।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान सहरसा वन प्रमंडल से मधेपुरा जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र मधेपुरा जिला होगा एवं इसका मुख्यालय मधेपुरा होगा। पुनर्गठन के पश्चात् सहरसा वन प्रमंडल का क्षेत्र सिर्फ सहरसा जिले तक सीमित रहेगा।
9.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, किशनगंज वन प्रमंडल, किशनगंज।	इस प्रमंडल का सृजन वर्तमान अररिया वन प्रमंडल से किशनगंज जिले को लेकर किया जा रहा है। इस प्रमंडल का कार्य क्षेत्र किशनगंज जिला होगा एवं इसका मुख्यालय किशनगंज होगा। पुनर्गठन के अररिया वन प्रमंडल का क्षेत्र सिर्फ अररिया जिले तक सीमित रहेगा।

II. नव सृजित 09 नये वन प्रमंडलों के लिए विभिन्न कोटि के सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	पदनाम	वेतन स्तर	सृजित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	वन प्रमंडल पदाधिकारी	लेवल-11	09	वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद धारक भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा के उपलब्ध पदाधिकारी होंगे। अतएव इस पद के सृजन से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
2.	सहायक वन संरक्षक	लेवल-09	09	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल में कुल 01 सहायक वन संरक्षक के पद सृजित किये गये हैं। ये मुख्यालय स्तर पर निकासी

				एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही क्षेत्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
3.	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	लेवल-06	27	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक नवसृजित वन प्रमंडल के लिए 03 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अर्थात् कुल 27 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है।
4.	वनपाल	लेवल-05	108	कुल 27 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद सृजित किये गये हैं। प्रत्येक प्रक्षेत्रों के लिए 04 वनपाल अर्थात् कुल 108 वनपाल के पद सृजित किये गये हैं।
5.	वनरक्षी	लेवल-03	432	कुल 108 वनपाल का पद सृजित किया गया है। प्रत्येक वनपाल के लिए 04 वनरक्षी अर्थात् कुल 432 वनरक्षी का पद सृजित किया गया है।
6.	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	लेवल-07	09	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल में कुल 01 सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद सृजित किये गये हैं।
7.	प्रधान लिपिक	लेवल-06	09	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल में कुल 01 प्रधान लिपिक के पद सृजित किये गये हैं।
8.	उच्च वर्गीय लिपिक	लेवल-04	27	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल कार्यालय हेतु कुल 03 उच्च वर्गीय लिपिक अर्थात् कुल 27 उच्च वर्गीय लिपिक के पद का सृजन किया गया है।
9.	निम्न वर्गीय लिपिक	लेवल-02	99	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल कार्यालय, सहायक वन संरक्षक एवं प्रक्षेत्र कार्यालय (03) हेतु क्रमशः 07, 01 एवं 03 कुल 11 निम्न वर्गीय लिपिक अर्थात् कुल 99 निम्न वर्गीय लिपिक के पद का सृजन किया गया है।
10.	आशुलिपिक—III	लेवल-04	09	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल में कुल 01 आशुलिपिक—III के पद सृजित किये गये हैं।
11.	अमीन	लेवल-03	09	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल में कुल 01 अमीन के पद सृजित किये गये हैं।
12.	वाहन चालक	लेवल-02	45	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल कार्यालय, सहायक वन संरक्षक एवं प्रक्षेत्र कार्यालय (03) हेतु क्रमशः 01, 01 एवं 03 कुल 05 वाहन चालक अर्थात् कुल 45 वाहन चालक के पद का सृजन किया गया है।
13.	कार्यालय परिचारी	लेवल-01	72	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल कार्यालय, सहायक वन संरक्षक एवं प्रक्षेत्र कार्यालय (03) हेतु क्रमशः 04, 01 एवं 03 कुल 08 कार्यालय परिचारी अर्थात् कुल 72 कार्यालय परिचारी के पद का सृजन किया गया है।
14.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25209 / —	63	नव सृजित वन प्रमंडलों की संख्या 09 है। प्रत्येक वन प्रमंडल कार्यालय, सहायक वन संरक्षक एवं प्रक्षेत्र कार्यालय (03) हेतु क्रमशः 03, 01 एवं 03 कुल 07 कम्प्यूटर ऑपरेटर अर्थात् कुल 63 कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद का सृजन किया गया है। कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवायें बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार ली जायेगी।
	कुल		927	

3. नवसृजित प्रत्येक 09 वन प्रमंडल कार्यालय के लिए सृजित विभिन्न कोटि के पदों की संख्या, वेतन स्तर संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुरूप होंगे।

4. नवसृजित पदों पर होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-0001-वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा, विपत्र कोड-19-2406011010001 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. उपरोक्त नये वन प्रमंडलों एवं उसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर दिनांक 03.10.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

आनन्द किशोर, प्रधान सचिव।

परिशिष्ट-1

अतिरिक्त प्रस्तावित पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी।

क्रमांक	सेवा /संवर्ग		पे एवं पे लेवल	एक माह का वेतन	एक माह का महंगाई भत्ता (55%)	आवास भत्ता (20%)	एक माह का परिवहन भत्ता	एक माह का परिवहन भत्ता पर महंगाई भत्ता (55%)	एक माह का चिकित्सा भत्ता	एक माह का वेतन अन्य भत्ता का योग (4 to 9)	नव सृजित पदों की संख्या	अनुमानित मसिक व्यय (10 X 11)	कुल वार्षिक व्यय (12 X 12 माह)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बिहार वन सेवा	उप वन संरक्षक	(67700-208700) Level-11	67700	37235	13540	4000	2200	1000	125675	9	1131075	13572900	
2	बिहार वन सेवा	सहायक वन संरक्षक	(53100-167800) Level-9	53100	29205	10620	3000	1650	1000	98575	9	887175	10646100	
3	बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी सेवा संवर्ग	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी	(35400-112400) Level-6	35400	19470	7080	1500	825	1000	65275	27	1762425	21149100	
4	बिहार अवर वन सेवा संवर्ग	वनपाल	(29200-92300) Level-5	29200	16060	5840	1500	825	1000	54425	108	5877900	70534800	

5		वनरक्षी	(21700-69100) Level-3	21700	11935	4340	1500	825	1000	41300	432	17841600	214099200	
6	बिहार वन लिपिकीय सेवा संवर्ग	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	(44900-142400) Level-7	44900	24695	8980	3000	1650	1000	84225	9	758025	9096300	
7		प्रधान लिपिक	(35400-112400) Level-6	35400	19470	7080	1500	825	1000	65275	9	587475	7049700	
8		उच्चवर्गीय लिपिक	(25500-81100) Level-4	25500	14025	5100	1500	825	1000	47950	27	1294650	15535800	
9		निम्नवर्गीय लिपिक	(19900-63200) Level-2	19900	10945	3980	1500	825	1000	38150	99	3776850	45322200	
10	बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय आशुलिपिक सेवा संवर्ग	आशुलिपिक-III	(25500-81100) Level-4	25500	14025	5100	1500	825	1000	47950	9	431550	5178600	
11	बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय अमीन सेवा संवर्ग	अमीन	(21700-69100) Level-3	21700	11935	4340	1500	825	1000	41300	9	371700	4460400	
12	बिहार वाहन चालक	चालक	(19900-63200) Level-2	19900	10945	3980	1500	825	1000	38150	45	1716750	20601000	

13	बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग	कार्यालय परिचारी	(18000-56900) Level-1	18000	9900	3600	1500	825	1000	34825	72	2507400	30088800	
14		कम्प्यूटर ऑपरेटर		25209	0	0	0	0	0	25209	63	1588167	19058004	बेल्डॉन द्वारा निर्धारित मानदेय।
कुल व्यय												38944575	467334900	

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-2

नव सृजित वन प्रमंडल वार विभिन्न सेवा संवर्गों के पदों की कुल आवश्यकता की गणना।

क्रम सं०	कार्यालय	बिहार वन सेवा संवर्ग		बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग	बिहार अवर वन संवर्ग	बिहार वन लिपिकीय सेवा संवर्ग					बिहार पर्यावरण, वन एवं विभाग क्षेत्रीय आधुनिक सेवा संवर्ग	बेल्डॉन द्वारा सेवाएं ली जावगी	वाहन चालक संवर्ग	बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग	बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग क्षेत्रीय अमीन सेवा संवर्ग	कुल
		वन प्रमंडल पदाधिकारी (उप वन संरक्षक) (लेवल-11)	सहायक वन संरक्षक (लेवल-9)			सहायक प्रशासी पदाधिकारी (लेवल-7)	प्रधान लिपिक (लेवल-6)	उच्चवर्गीय लिपिक (लेवल-4)	निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2)	आधुनिक- III (लेवल-4)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बक्सर वन प्रमंडल, बक्सर।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
2	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद वन प्रमंडल, जहानाबाद।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
3	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लखीसराय वन प्रमंडल, लखीसराय।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103

4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मधुबनी वन प्रमंडल, मधुबनी।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीवान वन प्रमंडल, सीवान।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोटिहार वन प्रमंडल, कोटिहार।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, खगड़िया वन प्रमंडल, खगड़िया।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा वन प्रमंडल, मधेपुरा।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, किशनगंज वन प्रमंडल, किशनगंज।	1	1	3	12	48	1	1	3	11	1	7	5	8	1	103
कुल		9	9	27	108	432	9	9	27	99	9	63	45	72	9	927

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
8 अक्टूबर 2025

सं० 8/विविध-10-28/2022, गृ०आ०-12829—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक, बिहार तथा बिहार राज्य में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं आरक्षियों तथा निर्वाचन कार्य हेतु अध्याचित अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं आरक्षियों को बिहार विधान सभा के आम निर्वाचन, 2025 के लिए नामित करती है।

2. नामित पुलिस पदाधिकारी, बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचन

संबंधी दायित्वों के लिए प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी पदाधिकारी/आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
किरण माला पँवरिया, अवर सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग

प्रभार प्रतिवेदन

8 अक्टूबर 2025

सं० 7458—अधोहस्ताक्षरी, मैं कँवल तनुज, भा.प्र.से. (2010), आज दिनांक—06.10.2025 के पूर्वाहन में सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का प्रभार स्वतः त्याग करता हूँ।

(सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या०—1/पी०—1012/2025 सा०प्र०—18637 दिनांक—29.09.2025 द्रष्टव्य)।

प्रतिहस्ताक्षरित
(बी० कार्तिकेय धनजी)

सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

(कँवल तनुज)
भारमुक्त पदाधिकारी

आदेश से,
दिलीप कुमार चौधरी, अवर सचिव।

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 8th October 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-12/2025--6734—WHEREAS, It was alleged that Shri Ajay Kumar Gupta, S/o-Late Raghunath Prasad, Address-Mohalla-Teliyapatti, P.S.-Motihari (Town), District-East Champaran (Bihar) while holding the then Tax Daroga, Nagar Parishad, Motihari in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in VIB P.S. Case No.-25/2015 dated 26.03.2015 of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the Shri Ajay Kumar Gupta who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA

ORDER

The 8th October 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-12/2025--6733—On the basis of the details of property of of **Shri Ajay Kumar Gupta** furnished with the application given by the Vigilance Investigation Bureau for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Shri Ajay Kumar Gupta the then Tax Daroga, Nagar Parishad, Motihari, S/o-Late Raghunath Prasad, Address-Mohalla-Teliyapatti, P.S.-Motihari (Town), District-East Champaran (Bihar)** who is named accused in VIB P.S. Case No.-25/2015 dated 26.03.2015 registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth ₹34,61,970/- (**Thirty Four Lakh Sixty One Thousand Nine Hundred Seventy Rupees Only**) which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of **Shri Ajay Kumar Gupta**.

By Order,

Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 30—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 1023—I, Manjushree D/o Udai Kumar R/o S.B. Residency House No. 903A, Phulwari, P.O.-B.V. College, Patna. Bihar-800014 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2055 dt. 19.06.2025 that my name is written in my Aadhar Card, all educational and other documents as Manjushree. From now I will be known as Manjushree Udai Bharadwaja for all purposes.

Manjushree.

No. 1024—I, Ankit S/o Ajay Pratap House No.-301, Krishna Kunj Apartment, East Boring Canal Road, Patna G.P.O., Patna Bihar-800001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2056 dt. 19.06.25 that from now I will be known as Ankit Pratap for all purposes.

Ankit.

No. 1025—I, Rashmi W/o Swapan Sinha R/o Block LF/2, Flat No.-09, Road No.-10, Naya Chak Rajendra Nagar, P.O.-Rajendra Nagar, P.S.-Kadamkuan, Patna-800016, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-8816, dt. 13.08.2025 that my name is written in my son Aditya Sinha's Class 10th CBSE Marksheet Cum Certificate as Rashmi Sinha. As per Aadhar Card my correct name is Rashmi. From now I shall be known as Rashmi for all purposes.

Rashmi.

No. 1031—I, VINA KUMARI, D/O. SHAMBHU, YADAV M/o-Maurkahi Ward No-11, Maurkahi Sahebganj Itahari P.o-Dighi District-Madhepura, Bihar 852122 do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no. 1233 dated 21.07.2025. That my name has been correct recorded as VINA KUMARI in my all educational certificates. But in my Aadhar card Name has been wrongly written as BINA KUMARI. That both the names are the name of same person/one person. That from now I will be know as VINA KUMARI for All future purpose.

VINA KUMARI.

सं० 1032—मैं, अभिषेक, पुत्र मनोज कुमार, स्थायी निवासी ग्राम बलुआ, पोस्ट कंस दियर, थाना डोरीगंज, जिला सारण (बिहार) पिन कोड-841216 यह सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र संख्या-24934 दिनांक-23.07.2025 के माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि मेरा नाम अभिषेक है। मैं अपने नाम में उपनाम 'यादव' जोड़ना चाहता हूं, और अब से मैं अभिषेक यादव के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

अभिषेक।

No. 1033—I, Md. Quais Ansari S/o Late Mohammad Yaseen Ansari R/o Mohalla-Karan Sarai P.O.+P.S.-Sasaram, Rohtas, Bihar-821115 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-28609 dt. 06.06.25 that my name is written in my matriculation educational documents as Mohammad Quais. where as in residential certificate written as Md. Quais Ansari. Above written both names are same and one person. From now I will be known as Md. Quais Ansari for all purposes.

Md. Quais Ansari.

No. 1034—I, **Amit Kumar Sharma**, s/o Dharmnath Prasad, currently reside at the address of behind C.D.A building, Lalji tola, P.S- Gandhi Maidan, P.O - G.P.O, Distt. - Patna, Bihar. Hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and PAN card as well as in all my educational documents my name is mentioned as **AMIT KUMAR SHARMA**. But, in my residence certificate my name is mistakenly mentioned as **AMIT KUMAR**. Here I want to convey that both the names belong to the same person i.e. me. And from now in my future I will be known as **AMIT KUMAR SHARMA** for all legal purposes. **AFFIDAVIT NO. – 386 DATE :- 02/08/2025.**

Amit Kumar Sharma.

सं० 1036—मैं, नईमा खातून (Nayeema Khatoon), पति—मो० शमीम अख्तर, निवासी—मल्लिक टोला, समनपुरा, चौधरी होटल गली, राजा बाजार, थाना—शास्त्रीनगर, पो० बी० भी० कॉलेज, जिला—पटना बिहार। शपथ पत्र सं०—8961 दि० 06/08/25 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पुत्र Md. Owais Shamim के दसवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में मेरा नाम Nayeema Shamim दर्ज है। मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में Nayeema Khatoon अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही हैं, जो मैं स्वयं हूँ। आगे भविष्य में सभी कार्य हेतु Nayeema Khatoon के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

नईमा खातून (Nayeema Khatoon).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 30—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० प्र०-II-रा०(आ०)-12 / 2025-5575 / एम०

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

6 अक्टूबर 2025

अवैध खनन से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक-19.05.2025 को विभागीय जाँच टीम सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा एवं श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड- बेनीपुर, पंचायत+ग्राम-पोहदी स्थित नन्नी चौर में छापामारी में 02 जे०सी०बी० द्वारा अवैध खनन करता हुआ पाया गया। उक्त जे०सी०बी० में से 01 जे०सी०बी० को विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा पकड़ा गया जबकि 01 जे०सी०बी० जिसका पीछा सुश्री प्रिया दीपिका, खनिज विकास पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक द्वारा किया गया उसे नहीं पकड़ा गया। अवैध खनन में संलिप्त जे०सी०बी० को पकड़ने में खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गयी। सुश्री प्रिया दीपिका का यह कृत्य अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है।

2. सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा-समप्रति कैमूर के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 4110 दिनांक 30.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. सुश्री प्रिया दीपिका, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा-समप्रति कैमूर द्वारा पत्रांक-533, दिनांक-20.08.2025 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। सुश्री प्रिया दीपिका से प्राप्त लिखित अभिकथन में अपने बचाव बयान जो भी तर्क दिये गये हैं उसकी समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में सुश्री प्रिया दीपिका द्वारा जे०सी०बी० को नहीं पकड़ने एवं अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कदम नहीं उठाने से संबंधित आरोप के संदर्भ में जो भी तर्क एवं साक्ष्य दिये गये हैं वे तथ्यात्मक नहीं हैं। इस स्थिति में सुश्री प्रिया दीपिका का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सुश्री प्रिया दीपिका प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। सुश्री प्रिया दीपिका के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव सुश्री प्रिया दीपिका के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा** को नियुक्त किया जाता है।

5. सुश्री प्रिया दीपिका से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

सं० R-504/16/2022-SECTION 14 RDD-RDD (COM NO-199222)—4680256

ग्रामीण विकास विभाग**संकल्प**

6 अक्टूबर 2025

श्री प्रशांत कुमार प्रसून, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी (वैशाली) के विरुद्ध सेवानिवृत्त पंचायत सचिव का नियोजन अवधि समाप्ति के पश्चात प्रभार आदान-प्रदान नहीं कराये जाने के कारण पंचायत सचिव द्वारा पंचम राज वित्त आयोग मद में मो० 5,20,000.00 (पांच लाख बीस हजार) रु० की अवैध निकासी किये जाने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-764 दिनांक-06.08.2022 से विभाग को आरोप पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1568241 दिनांक-13.02.2023 द्वारा श्री प्रशांत कुमार प्रसून के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2929502 दिनांक-24.06.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रशांत कुमार प्रसून के विरुद्ध धारित आरोप गंभीर प्रकृति के एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी से संबंधित है।

अतः सम्यक विचारोपरांत आरोपों की पुनः गहन जांच का निर्णय लिया जाता है।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री प्रशांत कुमार प्रसून, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती (कैमूर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी (वैशाली) के विरुद्ध धारित आरोपों की पुनः जांच हेतु श्री नन्द किशोर साह, अपर सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है। जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा नामित पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

श्री प्रशांत कुमार प्रसून से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में पुनः अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 30—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>